

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 2010—भाद्र 19, शक 1932

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्र. ई-5-486-आयएस-लीव-एक-5.—(1) इस विभाग के  
समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त, 2010 द्वारा श्री विनोद चन्द्र  
सेमवाल, आयएस., वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा  
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक,  
मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम को दिनांक 19 अगस्त से 4 सितम्बर  
2010 तक सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत कर उक्त  
अवकाश अवधि में वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा  
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक,  
मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम का प्रभार श्री अनिल कुमार जैन,

आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास  
निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन  
कार्पोरेशन लि. (ट्रायफेक) को सौंपा गया है.

(2) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते  
हुए श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की उक्त अवकाश अवधि में श्री अनिल  
कुमार जैन के स्थान पर श्री एम. गोपाल रेड्डी, प्रबंध संचालक,  
मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ  
वि.क.अ.-सह-आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक,  
मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य  
वस्त्र निगम का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अगस्त 2010  
की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2010

क्र. ई-5-743-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. बी. सिंह, आयएस., कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर को दिनांक 16 से 31 अगस्त 2010 तक सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. ई-1-308-2010-5-एक.—लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2008 बैच के सीधी भरती के नीचे दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक खाना (3) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना	प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	सुश्री छवि भारद्वाज, सहायक कलेक्टर, ग्वालियर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी.
2	सुश्री इरेने सिधिया, जे.पी. सहायक कलेक्टर, सतना.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर (शाजापुर).
3	श्री विकास नरवाल, सहायक कलेक्टर, सीहोर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगाढ़ (मुरैना).
4	श्री भरत यादव, सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई (बैतूल).
5	सुश्री मधुरानी तेवतिया, सहायक कलेक्टर, जबलपुर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा (रतलाम).

(1) (2) (3)

6 श्री सिबी चक्रवर्ती एम. सहायक कलेक्टर, सिंगरौली. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर (छिन्दवाड़ा).

7 श्री विशेष गढपाले, सहायक कलेक्टर, पन्ना. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरोंज (विदिशा).

8 श्री वी. किरण गोपाल सहायक कलेक्टर, मंडला. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपरिया (होशंगाबाद).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2010

क्र. ई-5-823-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग को दिनांक 9 अगस्त से 30 सितम्बर 2010 तक त्रिपेन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. आर. 875-2010-बारह-1.—मेसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा जिला धार एवं झाबुआ में सोना, तांबा, लेड, जिंक, निकल खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत टोही कार्य हेतु धारित 4038 वर्ग कि. मी. क्षेत्र को शासन के आदेश क्रमांक आर 875-2010-बारह-1-3607, दिनांक 21 जून 2010 द्वारा निरस्त किया

गया है. खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांश (3)
1	22° 11' 24.00''	74° 07' 12.00''
2	22° 08' 24.00''	74° 37' 48.00''
3	22° 12' 45.41''	74° 36' 30.00''
4	22° 12' 45.41''	74° 34' 07.48''
5	22° 22' 34.34''	74° 34' 14.77''
6	22° 31' 28.90''	74° 25' 51.04''
7	22° 36' 05.78''	74° 31' 31.96''
8	22° 25' 05.22''	74° 41' 56.39''
9	22° 17' 45.00''	74° 41' 56.39''
10	22° 20' 24.00''	74° 51' 36.00''
11	22° 31' 48.00''	74° 51' 36.00''
12	22° 35' 24.00''	74° 33' 36.00''
13	22° 39' 00.00''	74° 33' 36.00''
14	22° 39' 00.00''	74° 43' 48.00''
15	22° 52' 12.00''	74° 41' 24.00''
16	23° 02' 24.00''	74° 34' 12.00''
17	23° 05' 24.00''	74° 22' 12.00''

17 से 1 राज्य सीमा

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. आर. 875-2010-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 25th August 2010

No. R-875-2010-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of Mineral Concession Rule 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 4038 Km<sup>2</sup> in Dhar & Jabua districts which was previously held by M/s. Hindustan Zink Limited, for the reconnaissance operations of Gold, Copper, Lead, Zinc, Nickel, minerals, under reconnaissance permit, has now been cancelled as per State Government order No. R-875-2010-XII-1-3607, dated 21st June 2010 Details of the area are as below :—

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
1	22° 11' 24.00''	74° 07' 12.00''
2	22° 08' 24.00''	74° 37' 48.00''
3	22° 12' 45.41''	74° 36' 30.00''
4	22° 12' 45.41''	74° 34' 07.48''
5	22° 22' 34.34''	74° 34' 14.77''
6	22° 31' 28.90''	74° 25' 51.04''
7	22° 36' 05.78''	74° 31' 31.96''
8	22° 25' 05.22''	74° 41' 56.39''
9	22° 17' 45.00''	74° 41' 56.39''
10	22° 20' 24.00''	74° 51' 36.00''
11	22° 31' 48.00''	74° 51' 36.00''
12	22° 35' 24.00''	74° 33' 36.00''
13	22° 39' 00.00''	74° 33' 36.00''
14	22° 39' 00.00''	74° 43' 48.00''
15	22° 52' 12.00''	74° 41' 24.00''
16	23° 02' 24.00''	74° 34' 12.00''
17	23° 05' 24.00''	74° 22' 12.00''

17 to 1 State Boundary

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. आर. 1462-07-बारह-1.—मेसर्स रूंगटा माईन्स लि. द्वारा जिला सीधी एवं शहडोल में सोना खनिज के अवीक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 365 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में से 182.50 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 (1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांश (3)
<b>खण्ड 1</b>		
1	24° 01' 45.00''	81° 10' 00.00''
2	24° 03' 39.00''	81° 14' 16.00''
3	24° 04' 52.00''	81° 13' 49.00''
4	24° 06' 45.00''	81° 18' 27.00''
5	24° 03' 57.30''	81° 14' 48.20''
6	24° 01' 15.80''	81° 14' 47.40''
7	24° 08' 57.80''	81° 27' 57.80''
8	24° 08' 30.10''	81° 27' 50.80''
9	24° 08' 31.70''	81° 28' 49.10''
10	24° 06' 31.70''	81° 28' 45.00''
<b>खण्ड 2</b>		
11	24° 09' 43.00''	81° 17' 12.00''
12	24° 12' 47.50''	81° 25' 00.80''
13	24° 09' 00.00''	81° 20' 00.00''
14	24° 08' 49.20''	81° 20' 00.00''
15	24° 06' 57.30''	81° 18' 21.80''
<b>खण्ड 3</b>		
16	24° 12' 47.50''	81° 25' 00.80''
17	24° 12' 54.70''	81° 29' 00.00''
18	24° 11' 53.90''	81° 29' 03.30''
19	24° 11' 04.70''	81° 26' 11.80''
20	24° 10' 00.00''	81° 36' 11.50''
21	24° 10' 00.00''	81° 27' 47.40''
22	24° 10' 11.11''	81° 27' 47.40''
23	24° 10' 11.11''	81° 28' 28.00''
24	24° 07' 02.00''	81° 30' 00.00''
25	24° 14' 45.00''	81° 30' 00.00''
26	24° 12' 47.50''	81° 25' 00.80''

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. आर.1462-07-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 25th August 2010

No. R-1462-07-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of the Mineral Concession Rule 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 182.50 Km<sup>2</sup> out of 365 Km<sup>2</sup> in Sidhi & Shahdol districts which was previously held by M/s. Rungta Mines Limited, for the reconnaissance operations of Gold mineral, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7 (1) (i)(a) of the said rules, Details of the area are as below :—

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
<b>BLOCK 1</b>		
1	24° 01' 45.00''	81° 10' 00.00''
2	24° 03' 39.00''	81° 14' 16.00''
3	24° 04' 52.00''	81° 13' 49.00''
4	24° 06' 45.00''	81° 18' 27.00''
5	24° 03' 57.30''	81° 14' 48.20''
6	24° 01' 15.80''	81° 14' 47.40''
7	24° 08' 57.80''	81° 27' 57.80''
8	24° 08' 30.10''	81° 27' 50.80''
9	24° 08' 31.70''	81° 28' 49.10''
10	24° 06' 31.70''	81° 28' 45.00''

(1)	(2)	(3)
BLOCK 2		
11	24° 09' 43.00''	81° 17' 12.00''
12	24° 12' 47.50''	81° 25' 00.80''
13	24° 09' 00.00''	81° 20' 00.00''
14	24° 08' 49.20''	81° 20' 00.00''
15	24° 06' 57.30''	81° 20' 21.80''
BLOCK 3		
16	24° 12' 47.50''	81° 25' 00.80''
17	24° 12' 54.70''	81° 29' 00.00''
18	24° 11' 53.90''	81° 29' 03.30''
19	24° 11' 04.70''	81° 26' 11.80''
20	24° 10' 00.00''	81° 36' 11.50''
21	24° 10' 00.00''	81° 27' 47.40''
22	24° 10' 11.11''	81° 27' 47.40''
23	24° 10' 11.11''	81° 28' 28.00''
24	24° 07' 02.00''	81° 30' 00.00''
25	24° 14' 45.00''	81° 30' 00.00''
26	24° 12' 47.50''	81° 25' 00.80''

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh,

A. K. TOMAR, Dy. Secy.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. डी-15-13-2010-चौदह-3.—चूंकि राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15-13-2010-चौदह-3, दिनांक 9 जून 2010 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) के उपबंधों के अधीन राजगढ़ जिले की तहसील जीरापुर की

कृषि उपज मंडी समिति माचलपुर (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मंडी क्षेत्र" के नाम से विनिर्दिष्ट है) के ग्राम बांगपुरा का समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से विनिर्दिष्ट है) को सम्मिलित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित किया गया था।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश "राजपत्र" में प्रकाशन होने के दिनांक से उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित ग्राम में समाविष्ट "उक्त क्षेत्र" को राजगढ़ जिले की कृषि उपज मंडी समिति माचलपुर के मंडी क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए "उक्त मंडी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है :-

अनुसूची

1. बांगपुरा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र.-डी-15-13-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2010

No. D-15-13-2010-XIV-3.—WHEREAS, by this departments Notification No. D-15-13-2010-XIV-3, dated 9th June, 2010 issued under the provisions of clause (i) of sub section (1) of section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government have signified its intention to alter the limit of the market area of Krishi Upaj Mandi committee Machalpur of district Rajgarh (herein after referred to as the "said market area") by including herewith the area comprising of village of Bangpura in Jirapur Tehsil of district Rajgarh (herein after referred to as the "said area").

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 71 of the

Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette hereby alter the limits of the "said market area" for the purpose of the said Act by including the "said area" comprising of following village mention in the schedule thereinwith the market area of Krishi Upaj Mandi Commettee Machalpur of District Rajgarh:—

### SCHEDULE

#### 1. Bangpura.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2010

फा. क्र. 1 (अ)-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अगस्त, 2009 के अनुक्रम में महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में निम्नलिखित विधि पदाधिकारी के कार्यकाल में 20-8-2010 से 19-8-2011 तक वृद्धि करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:—

#### महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गिरीश देसाई	उप महाधिवक्ता	23,000
2	श्रीमती रश्मि पंडित	उप शास. अधिवक्ता	17,000
3	श्री विवेक पटवा	उप शास. अधिवक्ता	17,000

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29—2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 1 (अ)-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ता को महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 30-8-2010 से 29-8-2011 तक एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है उक्त अवधि में दोनों पक्ष

एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे:—

#### महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री सुनील गुप्ता	उप शास. अधिवक्ता	17,000

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29—2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3 (ए)-19-2003-इक्कीस-ब (एक).—यतः भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित, आदेश दिनांक 21 फरवरी 2006 और राज्य मंत्रिपरिषद् के आदेश दिनांक 5 जून 2006 के अनुपालन में विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की हैं;

और यतः उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून, 2006 के पैरा 8 (2) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगी;

अतएव, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2009 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 13 नवम्बर 2009 में प्रकाशित की गई थी, के अनुसरण में, राज्य शासन, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में वर्णित राज्य के निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करता है:—

#### सारणी

क्रमांक	जिला	चिकित्सालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1	सागर	जनक नर्सिंग होम, मकरौनिया सागर मौर्य हार्ट हास्टिपल, तिली रोड सागर चैतन्य नर्सिंग होम, सागर रेले गेयर पैथालाजी (रैनबैक्सी) सागर थायरोकेयर पैथालाजी, सागर.

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2	शाजापुर	व्यास नर्सिंग होम, शाजापुर जायसवाल अस्पताल, शाजापुर. आरोग्य (गुप्ता) नर्सिंग होम, शाजापुर पाटीदार नर्सिंग होम, शाजापुर. सुराना नर्सिंग होम, शाजापुर.			ई-3/48, आर्चीज गैलरी के ऊपर 10 नं. बस स्टाप, अरेरा कालोनी भोपाल, डॉ. योगेश गुप्ता ऑर्थोडेन्टिस्ट जवाहर भवन, न्यू मार्केट, रोशनपुरा, भोपाल. रेडक्रास चिकित्सालय, तुलसी नगर, भोपाल.
3	ग्वालियर	डा. स्वाति जोशी, नर्सिंग होम, ग्वालियर. किलकारी हास्पिटल, ग्वालियर. रतन ज्योति नेत्रालय, साईबाबा मंदिर के पास, 18, विकास नगर, ग्वालियर. के. डी. जे. अस्पताल/रिसर्च सेन्टर बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर. रेले गेयर पैथालाजी, (रैनबैक्सी) ग्वालियर, थायरोकेयर पैथालाजी, ग्वालियर आस्था डेंटल सेंटर नियर चेतक ब्रिज झांसी रोड, ग्वालियर.	5	दमोह	डॉ. बुधवानी नर्सिंग होम, स्टेशन रोड, दमोह. फातिमा नर्सिंग होम, किल्लई नाका, दमोह. संजीवनी हास्पिटल, पुरानी गल्ला मंडी, दमोह. दिव्या क्लीनिक, पी. जी. कालेज के सामने दमोह.
4	भोपाल	नवोदय कैंसर अस्पताल, भोपाल रैनबो अस्पताल, जवाहर चौक न्यू मार्केट, भोपाल, अनुश्री अस्पताल 10 नम्बर बस स्टाप अरेरा कालोनी, भोपाल, जसदीप हास्पिटल, जवाहर चौक, भोपाल, चावला चिल्ड्रन नर्सिंग होम ई-4 भोपाल, डा. साहू मनोचिकित्सा अस्पताल, कोहेफिजा, भोपाल सुयश नर्सिंग होम, चूनाभट्टी, भोपाल, सुज्योति हास्पिटल एण्ड नर्सिंग होम, गुलमोहर, भोपाल, पारूलकर नर्सिंग होम एवं हास्पिटल अरेरा कालोनी, भोपाल, रैनबो हास्पिटल, रंगमहल चौराहा, टी. टी. नगर, भोपाल, नवोदय अस्पताल, एम. पी. नगर, जोन-2, भोपाल. अग्रवाल बाम्बे चिल्ड्रन हास्पिटल, भोपाल, रेले गेयर पैथालाजी (रैनबैक्सी) भोपाल. थायरोकेयर पैथालाजी, भोपाल, पीपुल्स अस्पताल एवं मेडिकल कालेज, भोपाल, बेनावरी, आर.आई.ए. लैब, भोपाल, पीपुल्स डेंटल कालेज, भोपाल. सिंहल डेन्टल क्लीनिक 55, पत्रकार कालोनी, मेन रोड नं. 3 भोपाल. डेंटल क्लीनिक (डॉ. अतुल वर्मा)	6	इन्दौर	मयूर अस्पताल रिग रोड, इन्दौर. गोकुल दास अस्पताल, इन्दौर. एस. एन.जी. हास्पिटल, इन्दौर नोबल हास्पिटल, इन्दौर मेडिकेयर हास्पिटल, इन्दौर. विशेष अस्पताल, इन्दौर कविता पैथालाजी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर 03, ओल्ड अग्रवाल नगर, सपना-संगीता रोड इन्दौर. डॉ. मनोज शर्मा, कार्डियोलोजिस्ट, विक्रम टॉवर सपना-संगीता रोड, इन्दौर. रेले गेयर पैथालाजी, (रैनबैक्सी) इन्दौर. थायरोकेयर पैथालोजी, इन्दौर.
			7	रीवा	पीयूष क्लीनिक रीवा, सागर नर्सिंग होम, हेडगवार, रीवा ज्ञानेश्वरी नर्सिंग होम, गुड़ चौराहा, रीवा सत्यजीत सी. टी. स्केन, सिरमौर चौराहा, रीवा रेल गेयर पैथालोजी (रैनबैक्सी) रीवा थायरोकेयर पैथालाजी, रीवा.
			8	मंदसौर	आर.के. हास्पिटल मंदसौर, चेलावत हास्पिटल, मंदसौर, पामेचा हास्पिटल, मंदसौर, थायरोकेयर पैथालाजी, मंदसौर.
			9	खण्डवा	जे. जे. हास्पिटल खण्डवा, हिंदूजा हास्पिटल, सिंधी कालोनी, खण्डवा थायरोकेयर पैथालाजी, खण्डवा.
			10	देवास	अपेक्स केयर हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर देवास संस्कार हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, देवास खरे नर्सिंग होम, देवास, करीम नर्सिंग होम, देवास,

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		माहेश्वरी नर्सिंग होम, देवास, चन्द्रा नर्सिंग होम, देवास, विनायक हास्पिटल, देवास, दिवाकर हास्पिटल, देवास, अग्रवाल नर्सिंग होम, देवास, रेल्वे गेयर पैथालोजी (रेनबैक्सी) देवास थायरोकेयर पैथालोजी, देवास.	18	बड़वानी	साई अस्पताल, बड़वानी महामृत्युंजय अस्पताल, बड़वानी, संजीवनी अस्पताल, संधवा, बड़वानी.
			19	दतिया	सिद्धिविनायक नर्सिंग होम, दतिया.
			20	गुना	सहयोग हास्पिटल, गुना
11	सिवनी	जरार नर्सिंग होम, सिवनी, आर्शीवाद नर्सिंग होम, सिवनी, त्रिवेदी नर्सिंग होम, सिवनी.	21	अशोकनगर	श्यामा मेमोरियल आई हास्पिटल, अशोकनगर लाइफ लाईन हास्पिटल, अशोकनगर आयुष्मान हास्पिटल, अशोकनगर.
12	उज्जैन	सी.एच.एल. अपोलो, उज्जैन, संजीवनी अस्पताल, उज्जैन. पाटीदार नर्सिंग होम, उज्जैन शिन्दे नर्सिंग होम एवं मेटरनिटी होम, उज्जैन रेल्वे गेयर पैथालोजी (रेनबैक्सी) उज्जैन थायरोकेयर पैथालोजी, उज्जैन.	22	नरसिंहपुर	के. के. साहू, नर्सिंग होम, नरसिंहपुर डा. पराडकर, नर्सिंग होम, नरसिंहपुर.
			23	रतलाम	जनक अस्पताल, रतलाम जैन दिवाकर अस्पताल, रतलाम गेटवेल अस्पताल, रतलाम.
13	बैतूल	बैतूल हास्पिटल रानीपुर रोड, गडथाना, बैतूल, ममता मेटरनिटी होम, एल.एस.एस. स्कूल के पास, सदर बैतूल सुभद्रा हास्पिटल लिंक रोड टिकारी, बैतूल गुणेकर हास्पिटल, इटारसी रोड, सदर बैतूल. संजीवनी हास्पिटल, बैतूल.	24	विदिशा	प्रखर डायग्नोस्टिक सेंटर, विदिशा, आशीष पैथालोजी, विदिशा, डॉ. एच. एस. चौरसिया मेमोरियल हास्पिटल, विदिशा मनोकुंज सर्जिकेयर हास्पिटल विदिशा, शांता मेमोरियल हास्पिटल, विदिशा, आर्शीवाद हास्पिटल एण्ड मेटरनिटी सेंटर, विदिशा.
			25	टीकमगढ़	राय अस्पताल, टीकमगढ़
14	भिण्ड	प्रभा नर्सिंग होम, भिण्ड निरामय नर्सिंग होम, भिण्ड, गुलाब नर्सिंग होम, भिण्ड, एस. एन. शर्मा, सर्जन, भिण्ड.	26	होशंगाबाद	केशव अस्पताल, होशंगाबाद, सौरभ नर्सिंग होम, होशंगाबाद, सेंट जोसेफ. अस्पताल, होशंगाबाद, मालवीय अस्पताल होशंगाबाद, आर्शीवाद अस्पताल, होशंगाबाद, रेवा नर्सिंग होम, होशंगाबाद, अनीता साहू अस्पताल, पिपरिया, महेश्वरी अस्पताल पिपरिया दुबे अस्पताल इटारसी रेल्वे गेयर पैथालोजी (रेनबैक्सी), होशंगाबाद, थायरोकेयर पैथालोजी, होशंगाबाद.
15	धार	चौधरी हास्पिटल धार, गुरू राजेन्द्र सूरी मानव सेवा अस्पताल राजनगर मोहन खेड़ा, धार, सुमन हास्पिटल धामनोद, धार.			
16	मुरैना	कृष्णा हास्पिटल मुरैना, प्रेमी नर्सिंग होम, मुरैना, डॉ. अशोक सिंघल, जौरा, मुरैना, डा. राकेश गुप्ता मुरैना.	27	हरदा	भगवती नर्सिंग होम, हरदा, प्रियंका नर्सिंग होम, हरदा, काकाजी नर्सिंग होम, हरदा.
17	अनूपपुर	कोतमा-क्षेत्रीय चिकित्सालय, एस.ई.सी.सी., कोतमा कोलिट्टी, कोतमा.	28	रायसेन	सांची नेचर क्योर चिकित्सालय, रायसेन, अन्नया उच्चवल चिकित्सालय, रायसेन, आर्शीवाद नर्सिंग होम, रायसेन.



F. No. 3 (A) 19-2003-XXI-B (One).—WHEREAS, in compliance of the order dated 21st February, 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June, 2006 of the State Council, the Law and Legislative Affairs Department *vide* its order dated 15th June, 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers poste in Madhya Pradesh;

AND WHEREAS, para 8 (2) read with para 16 of the aforesaid order dated 15th June 2006 provide that the State Government shall notify Private hospitals for treatment of working/retired judicial officers and their family members;

NOW, THEREFORE, in continuation of this department's notification of even number dated 30th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 13th November 2009 the State Government, in consultation with the Director, Health Services, Madhya Pradesh, hereby notify the private hospitals in the State mentioned in column (3) of the table below for treatment of working/retired judicial officers and their family members :—

TABLE

S.No. (1)	District (2)	Name of the hospitals (3)
1	Sagar	Janak Nursing Home, Makronia, Sagar, Maurya Heart Hospoital, Tili Road, Sagar, Chetanya Nursing Home, Sagar, Relegayor Pathology (Ranbaxy), Sagar, Thyrocare Pathology, Sagar.
2	Shajapur	Vyas Nursing Home, Shajapur, Jaiswal Hospital, Shajapur, Arogya (Gupta) Nursing Home, Shajapur, Patidar Nursing Home, Shajapur, Surana Nursing Home, Shajapur.
3	Gwalior	Dr. Swathi Joshi Nursing Home, Gwalior, Kilkari Hospital, Gwalior, Ratan Jyoti Netralaya, Near Sai Baba Mandir, 18, Vikas Nagar, Gwalior, K.D.J. Hospital/ Research Centre, Baradari Chouraha, Morar, Gwalior, Relegayor Pathology (Ranbaxy), Gwalior,
4	Bhopal	Thyrocare Pathology, Gwalior, Aastha Dental Centre Near Chetak Bridge, Jhansi Road, Gwalior. Navodaya Cancer Hospital, Bhopal, Rainbow Hospital, Jawahar Chowk, New Market, Bhopal, Anushri Hospital, 10 No. Bus Stop, Arera Colony, Bhopal, Jasdeep Hospital, Jawahar Chowk, Bhopal, Chawala Children Nursing Home, E-4, Arera Colony, Bhopal, Dr. Sahu Manochikitsa Hospital, Kohe-Feza, Bhopal, Suyash Nursing Home, Chuna Bhatti, Bhopal, Sujyoti Hospital and Nursing Home, Gulmohar, Bhopal, Parulkar Nursing Home and Hospital, Arera Colony, Bhopal, Rainbow Hospital, Rang Mahal Sqaure, T.T. Nagar, Bhopal, Navodaya Hospital, M.P. Nagar, Zone-II, Bhopal Agrawal Bombay Children Hospital, Bhopal, Relegayor pathology (Ranbaxy), Bhopal, Thyrocare Pathology, Bhopal, Peoples' Hospital and Medical College, Bhopal, Benawari R.I.A. Lab, Bhopal, Peoples' Dental College, Bhopal, Singhal Dental Clinic, 55, Patrakar Colony, Main road No. 3, Bhopal, Dental Clinic, (Dr. Atul Verma), E-3/48, Above Archies Gallary, Bus Stop No. 10, Arera colony, Bhopal, Dr. Yogesh Gupta, Ortho. Dentist, Jawahar Bhawan, New Market, Roshanpura, Bhopal, Red Cross Hospital, Tulsi Nagar, Bhopal.
5	Damoh	Dr. Budhwani Nursing Home, Station Road, Damoh, Fatima Nursing Home, Killai Naka,

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		Damoh, Sanjivani Hospital, Purana Galla Mandi, Damoh, Divya Clinic, In front of P.G. College, Damoh.			Home, Dewas, Relegayor Pathology (Ranbaxy), Dewas, Thyrocare Pathology, Dewas.
6	Indore	Mayoor Hospital, Ring Road, Indore, Gokuldas Hospital, Indore, S.N.G. Hospital, Indore, Nobel Hospital, Indore Medicare Hospital, Indore, Vishesh Hospital, Indore, Kavita Pathology and Diagnostic Centre, 03, Old Agrawal Nagar, Sapna-Sangeeta Road, Indore Dr. Manoj sharma, Cardiologist, Vikram Tower, Sapna-Sangeeta Road, Indore, Relegayor Pathology (Ranbaxy), Indore Thyrocare Pathology, Indore.	11	Seoni	Jarar Nursing Home, Seoni, Ashirwad Nursing Home, Seoni, Trivedi Nursing Home, Seoni.
			12	Ujjain	C.H.L. Apollo, Ujjain, Sanjivani Hospital, Ujjain, patidar Nursing Home, Ujjain, Shinde Nursing Home and maternity Home, Ujjain, Relegayor Pathology (Ranbaxy), Ujjain, Thyrocare Pathology, Ujjain.
			13	Betul	Betul Hospital, Ranipur Road, Gau Thana, Betul, Mamta Maternity Home, Near L.S.S. School, Sadar, Betul, Subhadra Hospital, Link Road, Tikari, Betul, Gunekar Hospital, Itarsi Road, Sadar, Betul, Sanjivani Hospital, Betul.
7	Rewa	Peeyush Clinic, Rewa, Sagar Nursing Home, Hadagwar, Rewa, Gyaneshwari Nursing Home, Gud Chauraha, Rewa, Satyajeet C.T. Scan, Sirmaur Chauraha, Rewa, Relegayor Pathology (Ranbaxy), Rewa, Thyrocare Pathology, Rewa.	14	Bhind	Prabha Nursing Home, Bhind, Niramaya Nursing Home, Bhind, Gulab Nursing Home, Bhind, S.N. Sharma, Surgeon, Bhind.
8	Mandsaur	R.K. Hospital, Mandsaur, Chealwat Hospital, Mandsaur, Pamecha Hospital, Mandsaur, Thyrocare Pathology, Mandsaur.	15	Dhar	Chaudhary Hospital, Dhar, Guru Rajendra Suri Manav Seva Hospital, Rajnagar, Mohankhera, Dhar, Suman Hospital, Damhnod, Dhar.
9	Khandwa	J. J. Hospital, Khandwa, Hinduja Hospital, Sindhi Colony, Khandwa, Thyrocare Pathology, Khandwa.	16	Morena	Krishana Hospital, Morena, Premi Nursing Home, Morena, Dr. Ashok Singhal, Jora, Morena, Dr. Rakesh Gupta, Morena.
10	Dewas	Apex Care Hospital and Reserch Centre, Dewas Sanskar Hospital and Research Centre, Dewas, Khare Nursing Home, Dewas, Karim Nursing Home, Dewas, Maheshwari Nursing Home, Dewas, Chandra Nursing Home, Dewas, Vinayak Hospital, Dewas, Diwakar Hospital, Dewas, Agrawal Nursing	17	Anuppur	Kotma-Kshetriya Chikitsalay, SECC, Kotma, Kolity, Kotma.
			18	Barwani	Sai Hospital, Barwani, Mhamrutyanjai Hospital, Barwani, Sanjeevni Hospital, Sendhwa, Barwani.
			19	Datia	Sidhhi Vinayak Nursing Home, Datia.
			20	Guna	Sahyog Hospital, Guna

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
21	Ashoknagar	Shyama Memoraal Eye Hospital, Ashoknagar, Lifeline Hospital, Ashoknagar, Ayushman Hospital, Ashoknagar.			Hoshangabad, St. Jopseph, Hospital, Hoshangabad, Malviya Hospital, Hoshangabad, Ashirwad Hospital, Hoshangabad, Reva Nursing Home Hoshangabad,
22	Narsinghpur	K.K. Sahu Nursing Home, Narsinghpur, Dr. Paradkar Nursing Home, Narsinghpur.			Anita Sahu Hospital, Pipariya, Maheshwari Hospital, Pipariya, Dube Hospital, Itarsi, Relegayor Pathology (Ranbaxy) Hoshangabad, ThyroCare Pathology, Hoshangabad.
23	Ratlam	Janak Hospital, Ratlam, Jain Divakar Hospital, Ratlam, Getwell Hospital, Ratlam.			
24	Vidisha	Prakhar Diagnostic Centre, Vidsha, Ashish pathology, Vidisha, Dr. H.S. Chourasiya Memorial Hospital, Vidisha, Manokunj Surjicare Hospital, Vidisha, Shanta Memorial Hospital, Vidisha, Ashirwad Hospital and Maternity Centre, Vidisha.	27	Harda	Bhagvati Nursing Home, Harda, Priyanka Nursing Home, Harda, Kakaji Nursing Home, Harda.
			28	Raisen	Sanchi Nature Cure Chikitsalay, Raisen, Ananya Uchhual Chikitsalay, Raisen, Ashirwad Nursing Home, Raisen.
25	Tikamgarh	Rai Hospital, Tikamgarh.			
26	Hoshangabad	Keshav Hospital Hoshangabad, Sourabh Nursing Home,			मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

### आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. एफ. 3-77-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-77-2010-बत्तीस, दिनांक 28 अप्रैल 2010 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित होशंगाबाद विकास योजना, 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

#### उपांतरण विवरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम जासलपुर	101/4	3.237 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के अन्तर्गत शैक्षणिक.
		92/5	0.162 हेक्टेयर	कृषि	मार्ग.
		योग . .	<u>3.399 हेक्टेयर</u>		

(2) उपरोक्त उपांतरण होशंगाबाद विकास योजना, 2011 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं. 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो “मध्यप्रदेश राजपत्र” भाग-एक दिनांक 17 अप्रैल 1998 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 11, 29 और 35 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु क्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
“11.	श्री पवन कुमार शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर
29.	श्री राजीव कृष्ण जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989, बैतूल.	बैतूल	बैतूल
35.	श्री (डॉ.) अनिल कुमार ठाकरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, 1989, नरसिंहपुर.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
50.	श्री दीपक गुप्ता, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर.	अनूपपुर	अनूपपुर.”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this

Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B (I) dated 3rd April 1998, which was published in the Madhya Pradesh, Gazette Part-I, dated 17<sup>th</sup> April 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial numbers 11, 29 and 35 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto respectively shall be substituted, namely:—

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area/Sessions division
(1)	(2)	(3)	(4)
"11.	Shri Pawan Kumar Sharma, Additional Sessions Judge, Chhatarpur.	Chhatarpur	Chhatarpur
29.	Shri Rajeev Krishna Joshi, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Betul.	Betul	Betul
35.	Shri (Dr.) Anil Kumar Thakare, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Narsinghpur.	Narsinghpur.	Narsinghpur.
50.	Shri Deepak Gupta, Additional Sessions Judge, Anoopur.	Anoopur	Anoopur."

This amendment shall come into force from the date on which the Judge, as specified in the notification assumes the charge of his office in the said court.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2010

फा. क्र. 17(ई)83-2003-इक्कीस-ब (एक).--विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 3, 5, 60, 71 और 88 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	अनूपपुर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	श्री दीपक गुप्ता, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	श्री सुधीर कुमार अवस्थी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
60.	नरसिंहपुर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), नरसिंहपुर.	श्री एस.के. पाण्डे, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) नरसिंहपुर.
71.	रतलाम	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम	श्री व्ही.एस. राजपूत, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम.
88.	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), शुजालपुर.	कु. सुनीता सिरिल बारलो, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), शुजालपुर.".

F. No. 17(E)83-2003-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B(I), dated 6th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 16th October, 2009, namely :—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule for serial numbers 3, 5, 60, 71 and 88 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Name fo the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Anuppur	Additional Judge to the Court of District and Sessions Judge, Anuppur.	Shri Deepak Gupta, Additional Judge to the Court of District and Sessions Judge, Anuppur.
5.	Moongawali	Additional Judge to the Court of 1st Additional Sessions Judge, Moongawali.	Shri Sudhir Kumar Awasthy, Additional Judge to the court of 1st Additional Sessions Judge, Moongawali.
60.	Narsinghpur	IIIrd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Narsinghpur.	Shri S.K. Pandey, IIIrd Additional Sessions Judge (Fasty Track Court), Narsinghpur.
71.	Ratlam	IVth Additional Sessions Judge, Ratlam.	Shri V.S. Rajput, IVth Additional Sessions Judge, Ratlam.
88.	Shajapur	IInd Additional Sessions Judge, (Fast Tract Court) Shujalpur.	Ku. Sunita Siril Barlo, IInd Additional Session Judge (Fast Track Court), Shujalpur.".

फा. क्र. 17(ई)83-2003-इक्कीस-ब (एक).—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-83-03-इक्कीस-ब(एक),

दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 3, 5, 60, 71 और 88 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनु- क्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
3.	अनूपपुर	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	अनूपपुर कोतमा तथा राजेन्द्रग्राम का विद्युत् क्षेत्र.
5.	अशोकनगर	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.	मुंगावली एवं चन्देरी का विद्युत् क्षेत्र.
60.	नरसिंहपुर	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, (फास्ट ट्रेक कोर्ट), नरसिंहपुर.	सिविल जिला नरसिंहपुर के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 61 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
71.	रतलाम	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम	सिविल जिला रतलाम के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 72 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
88.	शाजापुर	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट), शुजालपुर.	शुजालपुर का विद्युत् क्षेत्र.

F. No. 17(E)83-2003-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) the State Government, hereby makes the following amendments in this department's Notification F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B(I), dated 6th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 16th October, 2009, namely :—

### AMENDMENTS

In the said notification, in the Schedule for serial numbers 3, 5, 60, 71 and 88 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S.No. (1)	Name of Civil District (2)	Special Court (3)	Territorial jurisdiction of a Special Court (according to the electricity area) (4)
3.	Anuppur	Additional Judge to the Court of District and Sessions Judge, Anuppur.	Electricity area of Anuppur, Kotma and Rajendragram.
5.	Ashoknagar	Additional Judge to the Court of 1st Additional Sessions Judge, Moongawali	Electricity area of Moongawali and Chanderi.

(1)	(2)	(3)	(4)
60.	Narsinghpur	IIIrd Additional Sessions Judge, (Fast Track Court), Narsinghpur.	All electricity area of Civil District, Narsinghpur (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 61).
71.	Ratlam	IVth Additional Sessions Judge, Ratlam.	All electricity area of Civil District, Ratlam (excluding the jurisdiction of Special Court at serial number 72).
88.	Shajapur	IIInd Additional Sessions Judge, (Fast Tract Court) Shujalpur.	Electricity area of Shujalpur.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. एफ. 67-107-10-तीन-2516.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत बोडा, जिला राजगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री मानकुंवर-मांगीलाल राठौर, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत, बोडा, जिला राजगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के

अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के पत्र क्र. 561/व्यय लेखा/10, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री मानकुंवर-मांगीलाल राठौर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री मानकुंवर-मांगीलाल राठौर को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 11 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के माध्यम से दिनांक 22 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

सुश्री मानकुंवर-मांगीलाल राठौर को नोटिस दिनांक 22 फरवरी 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 9 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया नोटिस की तामिली उपरांत कलेक्टर राजगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 3 मई 2010 में लेख किया कि “सुश्री मानकुंवर-मांगीलाल राठौर को जारी कारण बताओ सूचना पत्र तामिली के पश्चात उक्त अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.” आयोग द्वारा दिनांक 14 जून, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 26 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर राजगढ़ द्वारा दिनांक 25 जून, 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.



उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री मानकुंवर-मांगीलाल राठौर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत, बोडा, जिला राजगाढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से पांच वर्ष (05 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(**रजनी उड़के**)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. एफ. 67-89-10-तीन-2518.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत **भौरांसा, जिला देवास** के आम निर्वाचन में **श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव**, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर पंचायत, **भौरांसा** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के पत्र क्र. 193/स्था.निर्वा./10, दिनांक 21 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त

जानकारी अनुसार **श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 8 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास के माध्यम से दिनांक 23 फरवरी 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

**श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव** को नोटिस दिनांक 23 फरवरी 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 10 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर देवास ने अपने पत्र दिनांक 5 जून 2010 में लेख किया कि “**श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव** द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है”। आयोग द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। लिखित जवाब में उल्लेखित किया है कि “मैंने मतदान पूर्व तक व्ययों का लेखा जनपद पंचायत, सोनकच्छ में प्रस्तुत किया था। फिर मैं अचानक 12 दिसम्बर अस्वस्थ हो गया। मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाया। मैंने मेरे निर्वाचन अधिकर्ता के हाथों दिनांक 13, 14, 15 दिसम्बर को व्ययों का लेखा पहुंचाया लेकिन वहां पर चुनावी व्यस्तता के चलते बाद में आकर जमा करने का कहा गया किन्तु मैं अस्वस्थ होने के कारण नहीं जा पाया。” अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं पाए गए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री सुभाष सिंह हीरासिंह यादव** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत, भौरांसा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 02 (दो) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(**रजनी उड़के**)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. एफ. 67-99-10-तीन-2520.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत ब्यावरा, जिला राजगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगर पंचायत, ब्यावरा जिला राजगढ़ के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी राजगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के पत्र क्र. 561/स्था.निर्वा./10, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, राजगढ़ के माध्यम से दिनांक 23 मार्च 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था।

नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा को नोटिस दिनांक 23 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 7 अप्रैल, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामिली उपरांत कलेक्टर राजगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 10 मई 2010 में लेख किया कि “सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र तामिली उपरांत नोटिस में उल्लेखित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है”। आयोग द्वारा दिनांक 31 मई 2010 को सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु सूचना-पत्र लिखा गया। सूचना-पत्र की तामिली दिनांक 4 जून 2010 को हुई, किन्तु वे आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई और ना ही उनके द्वारा आयोग में इस संबंध में कोई अभ्यावेदन ही प्रेषित किया गया।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री प्रीति बन्टी शर्मा-योगेश शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, ब्यावरा जिला राजगढ़ का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( रजनी उड़के )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. एफ. 67-161-10-तीन-2522.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन

में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत पंधाना जिला खंडवा के आम निर्वाचन में श्री शंख खां अबरार खां, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थे। नगर पंचायत, पंधाना जिला खंडवा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी खंडवा के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खंडवा के पत्र क्र. क./नि.शा./व्यय लेखा/10/1808, दिनांक 22 जनवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शंख खां अबरार खां द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री शंख खां अबरार खां को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 6 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, खंडवा के माध्यम से दिनांक 18 फरवरी 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

श्री शंख खां अबरार खां को नोटिस दिनांक 18 फरवरी 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 5 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं

किया गया। नोटिस की तामिली उपरान्त कलेक्टर खंडवा ने अपने पत्र दिनांक 21 अप्रैल 2010 में लेख किया कि "श्री शंख खां अबरार खां को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र तामिल कराने के पश्चात् उक्त अभ्यर्थी द्वारा नोटिस में उल्लिखित अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है"। आयोग द्वारा दिनांक 7 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 14 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए, व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली दिनांक 9 जून 2010 को की गई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शंख खां अबरार खां को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत, पंधाना जिला खंडवा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ. 67-134-10-तीन-2541.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल के आम निर्वाचन में श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ), अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, बैतूल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा/2009/1892, दिनांक 6 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ), द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर बैतूल ने नोटिस की तामिली उपरांत अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है. आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर, बैतूल द्वारा दिनांक 30 जून 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित

समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजेश वासनिक ( एडवोकेट ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

( रजनी उड़के )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ. 67-134-10-तीन-2542.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल के आम निर्वाचन में श्री युवराज सिंह ठाकुर ( मोनू ) अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. नगरपालिका परिषद्, बैतूल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के पत्र

क्र. न.पा.निर्वा/2009/1892, दिनांक 6 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री युवराज सिंह ठाकुर (मोनू) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री युवराज सिंह ठाकुर (मोनू) को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को उनकी पत्नी के पर तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

श्री युवराज सिंह ठाकुर (मोनू) को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर बैतूल ने नोटिस की तामिली उपरांत अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि श्री युवराज सिंह ठाकुर (मोनू) द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर, बैतूल द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री युवराज सिंह ठाकुर (मोनू) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( रजनी उड़के )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. एफ. 67-134-10-तीन-2543.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैतूल जिला बैतूल के आम निर्वाचन में अ. सलीम अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगरपालिका परिषद्, बैतूल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा/2009/1892, दिनांक 6 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार अ. सलीम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अ. सलीम को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने

की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

अ. सलीम को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर, बैतूल ने नोटिस की तामिली उपरांत अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि अ. सलीम द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामिली कलेक्टर, बैतूल द्वारा दिनांक 30 जून 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अ. सलीम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैतूल जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहिंत (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,

प्लॉट नं. 76, अरेरा हिल्ल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. 301-001-2004.—मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश क्रमांक 5-4-2004-उन्तीस-2, दिनांक 28 जनवरी 2004 एवं माननीय चयन समिति

की बैठक दिनांक 13 अक्टूबर 2009 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निर्देशित किया जाता है, कि महाराज सिंह यादव, सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम-शिवपुरी अपने वर्तमान प्रभार के साथ-साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम-अशोकनगर में आवश्यकतानुसार आयोजित बैठकों में अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम-गुना/अशोकनगर के साथ भाग लेकर प्रकरणों की सुनवाई करेंगी। यह व्यवस्था जिला उपभोक्ता फोरम अशोकनगर में सदस्य की नियुक्ति अथवा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,

महेश प्रसाद अवस्थी, रजिस्ट्रार.

कार्यालय, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

राजभवन, भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. 1401-2010-रा.स.-यू.ए.1.—यतः, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ-52-2-10-3-38, दिनांक 30 अगस्त 2010 जारी की है, जो दिनांक 30 अगस्त 2010 से प्रभावशील की गई है।

(2) अतः, मैं, रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की यथा उपान्तरित धारा-13 एवं 14 सहपठित धारा 52 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत, प्रो. टी. आर. थापक, प्रोफेसर रसायन शास्त्र, शासकीय माधव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करता हूँ।

(3) उनका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक-1 के अनुसार शासित होंगी।

रामेश्वर ठाकुर, कुलाधिपति.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, कटनी जिला कटनी मध्यप्रदेश

कटनी, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्र. 6754-मण्डी-निर्वा.-2010-11.—मण्डी समिति का निर्वाचन 2005 मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत 193 कृषि उपज मण्डी समिति, कटनी के सदस्य के रूप में दिए गए नामनिर्दिष्ट को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ:—

क्र.	कृ.उ.म.स. का क्र. व नाम	मण्डी अधिनियम 1972 के अन्तर्गत	नामनिर्दिष्ट करने वाले कार्यालय/ अधिकारी का नाम	नामनिर्दिष्ट का नाम	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	193-कटनी	धारा 11 (5) के अन्तर्गत.	श्री राजकिशोर पोद्दार, विधायक, विधानसभा क्षेत्र, मुडवारा, कटनी.	श्री दीपक सरावगी	घण्टाघर, कटनी

एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

## कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल, शहडोल, मध्यप्रदेश .

शहडोल, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र.-मा.चि.-2010-405.—मध्यप्रदेश फारेस्ट मैनुअल के अपेन्डिक्स के अनुक्रमांक 29 में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को उपयोग में लाते हुये उपवनमण्डल जयसिंहनगर के वन परिक्षेत्र जयसिंहनगर के अन्तर्गत वनों की सुरक्षा की दृष्टि से निम्नानुसार बीटों का पुनर्गठन किया जाता है, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा :-

वर्तमान बीट का नाम एवं मुख्यालय						पुनर्गठित बीट का नाम एवं मुख्यालय						
उप वन मण्डल का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	सर्किल का नाम	बीट का नाम एवं मुख्यालय	कक्ष क्र.	रकबा है.	उप वन मण्डल का नाम	वन परिक्षेत्र का नाम	सर्किल का नाम	बीट का नाम एवं मुख्यालय	कक्ष क्र.	रकबा है.	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	विजहा	भत्तू	RF-321	54.600	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	विजहा	भत्तू	RF-321	54.600	
				P-320	68.400				भाग-1	P-320	68.400	
				P-322	395.00				(झिरियाटोला)	P-322	395.00	
				P-328	431.00					P-331	48.200	
				P-329	15.800					P-332	67.400	
				P-330	19.400							
				P-331	48.200							
				P-332	67.400							
				योग . .	1099.800					योग . .	633.600	

जयसिंहनगर	जयसिंहनगर	विजहा	भत्तू	RF-328	431.00
			P-भाग-2	P-329	15.800
			(विजहा)	P-330	19.400
			योग . .	466.200	

ए. एस. तिवारी, वनमण्डलाधिकारी.

## राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 16 अगस्त 2010

प्र. क्र. 8-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा			सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)			(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नम्बर	रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	गौहरगंज	दादरोद	137/1	4.00	0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन.	शाहबाद तिलेण्डी की मुख्य नहर एवं उप नहरों हेतु अर्जित.
			126/1	748.14	7.80		
			126/1	748.14	5.74		
			126/2/3	10.00	0.68		
			126/2/2	10.00	0.62		
			126/2/1	7.40	0.44		
	शाहबाद		186	5.62	0.48		
	तिलेण्डी		190	5.50	0.24		
			187	8.76	0.33		
			189	12.61	0.56		
			188	7.08	0.28		
			182/1	7.00	0.20		
			182/2	4.00	0.23		
			9/1	6.04	0.40		
			171	6.81	0.66		
			2/1	1.63	0.14		
			176	4.29	0.27		
			177	0.90	0.11		
			2	2.42	0.03		
			180/2	6.02	0.42		
			178	1.44	0.16		
			179	0.26	0.02		
			9/2	3.00	0.30		
			19	18.51	0.90		
			21/1	5.78	0.30		
			21/2/2	0.78	0.20		



(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			9/2	3.00	0.30		
			8	0.76	0.05		
			7	8.10	0.90		
			3/2	5.88	0.20		
			3/1	5.88	0.30		
			2	2.42	0.20		
		झागर	6/5	3.15	0.02		
			5/3	7.00	0.40		
			5/2	7.00	0.40		
			5/1	16.00	1.00		
		झागर	2/1	1.00	0.20		
			6/1	10.00	0.06		
		रामखेडी	45	13.96	1.00		
			46/2	6.97	0.70		
			46/1	6.98	0.30		
			16	5.00	0.42		
		महायोग ..	1739.23	28.02			

टीप.— भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

रायसेन, दिनांक 28 अगस्त 2010

प्र. क्र. 10-अ-82-2009-10.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी			सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)			(5)	(6)
			खसरा नम्बर	रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	गौहरगंज	आशापुरी	142	0.28	0.28	कार्यपालन यंत्री,	सागर तालाब आशापुरी
			143/2	0.54	0.02	जल संसाधन विभाग,	की मुख्य नहर एवं
			191/2	0.12	0.04	रायसेन.	ड्रेनेज हेतु अर्जित.
		मुख्य नहर	182	0.55	0.10		
			183	0.33	0.10		
			185	0.36	0.06		
			192	0.20	0.10		
			194	0.32	0.04		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			196/1	0.13	0.06
			196/2	0.12	0.06
			213/2	0.11	0.06
			184	0.30	0.12
			191/1	0.13	0.03
			213/1	0.12	0.05
			214	0.08	0.08
			215	0.56	0.20
			271	0.21	0.10
			226	0.11	0.02
			228	0.29	0.14
			229	0.35	0.02
			234	0.09	0.09
			236	0.18	0.02
			237	0.23	0.12
			238	0.04	0.04
			251	0.23	0.12
			269	0.40	0.04
			274	0.14	0.09
			282	0.31	0.07
			275	0.14	0.06
			278	0.19	0.03
			277	0.26	0.06
			281	0.30	0.06
			280/1	0.36	0.07
			265/2/2	2.70	0.20
		ड्रेनेज नाली	143/2	0.54	0.06
			144	0.42	0.03
			145	0.40	0.03
			146	0.34	0.04
			152	0.43	0.04
			148	0.16	0.04
			149	0.25	0.25
			163/1	0.24	0.07
			168	0.57	0.03
			166	0.23	0.02
			169	0.37	0.05
			170	0.21	0.03
		महायोग ..		14.94	3.44

टीप.— भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. 771-प्र.क्र.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	पड़रिया खुर्द	0.075	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	बाणसागर लोवर सिहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 773-प्र.क्र.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	पुतरिहा	0.035	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	बाणसागर लोवर सिहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 775-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बघवार	0.12	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	शिकारगंज वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 777-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	चोरगड़ी	0.49	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	शिकारगंज वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 779-भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है

कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बुढ़गौना	0.59	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर, संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.)	शिकारगंज वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. आर. वर्मा, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. भू-अर्जन-अ-82-2009-10-1132ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	पलकी	222/2	0.07	कार्यपालन यंत्री,	बिलगांव जलाशय मध्यम
		प. ह. नं. 18	340	0.67	जल संसाधन संभाग	सिंचाई परियोजना.
		रा.नि.मं. शहपुरा	331/2	0.34	डिण्डौरी.	
			223	0.40		
			239	0.22		
			240	0.46		
			461	0.38		
			281	0.31		
			367	1.05		
			379	0.31		
			283	0.16		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			318	1.58		
			319	0.22		
			350	0.88		
			353	0.53		
			386	0.23		
			284	0.16		
			351	0.40		
			285	0.13		
			398	0.47		
			287	0.56		
			288	1.11		
			465	0.45		
			289	1.94		
			290	0.71		
			441	0.18		
			291	1.49		
			292	0.55		
			330/2	0.08		
			333/2	0.42		
			311	0.38		
			313	0.42		
			314	1.01		
			341	0.53		
			317	0.53		
			428	0.95		
			430	0.54		
			518	0.49		
			416	0.22		
			320	0.83		
			545	0.14		
			321	0.45		
			473/1	0.22		
			324	0.50		
			495	0.04		
			327	0.22		
			328	0.44		
			363	0.34		
			376	0.25		
			330/1	0.34		
			333/1	0.28		
			332/1	0.51		
			537	0.34		
			467	0.01		
			553	0.25		
			332/2	0.51		
			335	1.63		
			468	0.04		
			538	0.36		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			552	0.44		
			334	0.50		
			463	0.55		
			331/1	0.71		
			336	0.20		
			337	1.64		
			381	0.74		
			427	0.31		
			388	0.83		
			342	0.40		
			371	0.70		
			343	0.22		
			344	0.22		
			345	0.23		
			347	0.26		
			346	0.23		
			348	0.42		
			360	0.75		
			396	0.01		
			352	0.44		
			357/1	0.73		
			357/2	0.04		
			544	0.16		
			359	3.98		
			370	1.15		
			529	2.12		
			361	0.33		
			362	0.36		
			364	0.35		
			365	0.32		
			383/2	0.54		
			409/2	0.30		
			368	0.65		
			527	1.28		
			555	0.86		
			366	0.46		
			374	0.29		
			533	0.78		
			536	0.55		
			542	1.04		
			543	0.81		
			369	0.80		
			373	0.80		
			329	0.24		
			372	0.55		
			496	0.20		
			377	0.80		
			413	0.29		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			378	0.03		
			414	0.20		
			379	0.71		
			491	0.48		
			499	1.77		
			513	0.31		
			380	0.27		
			382	0.01		
			432	1.22		
			383/1	0.41		
			409/1	1.10		
			423	0.16		
			384	1.44		
			389	0.03		
			424	0.43		
			385	0.84		
			387	1.23		
			541	0.17		
			434	0.22		
			388	1.89		
			435	0.15		
			442	0.26		
			390/1	0.20		
			415	0.15		
			391	0.19		
			393	0.86		
			449	0.15		
			392	0.74		
			394	2.64		
			399	0.61		
			400	0.70		
			404	0.49		
			547	1.76		
			406	0.55		
			419	0.23		
			411	0.43		
			464	0.27		
			412	4.30		
			422	0.34		
			417	0.09		
			421	0.25		
			425	0.69		
			431	0.24		
			436	0.52		
			438	0.16		
			517	0.08		
			439	0.26		
			440	0.13		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			444/2	0.01		
			448	0.13		
			456	0.04		
			457	0.05		
			458	0.08		
			459	0.08		
			460	0.09		
			470	0.12		
			471	0.05		
			472	0.14		
			492	0.11		
			458	0.72		
			494	0.07		
			497	0.20		
			549	0.42		
			498	0.17		
			511	0.72		
			516	0.09		
			521	0.40		
			522	0.22		
			525	0.45		
			526	0.30		
			523	0.13		
			524	0.13		
			539	0.48		
			551	0.50		
			546	1.11		
			550	1.32		
			473/2	0.04		
			योग . .	98.59		

शासकीय	293, 305, 316, 395	
भूमि	224, 225, 243, 339, 349, 355, 358, 405, 410, 429, 462, 530, 531, 540, 554, 221, 286, 315, 322, 433, 514, 325, 528, 534, 535, 397, 505, 509, 510, 512, 407, 408, 326, 418, 420, 426, 443, 445, 446, 447, 515, 519, 520.	22.15
	योग . .	22.15

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-अ-82-2009-10-1133ए.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी	बिलगांव जलाशय मध्यम परियोजना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	ढोढा	20	0.20		
			201	0.49		
			256	0.79		
			458	0.68		
			21	0.57		
			22	0.27		
			23	0.20		
			246	0.12		
			24	0.71		
			172	0.07		
			289	0.32		
			26	0.21		
			27	1.06		
			28	0.02		
			244	2.41		
			29	0.73		
			257	0.40		
			94/1	1.40		
			95	0.83		
			96	0.31		
			385	1.73		
			122	0.09		
			125	0.20		
			123	0.11		
			124	0.46		
			126	0.20		
			128	0.25		
			147	0.11		
			150	0.26		
			129	0.11		
			134	0.04		
			151	0.97		
			153	0.14		
			130	0.01		

---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			149	0.60		
			131	0.49		
			151	0.65		
			139	0.22		
			142/2	0.39		
			157	0.84		
			143	0.23		
			144	0.46		
			146/2	0.38		
			436	2.20		
			448	0.65		
			248/6	0.51		
			148	0.68		
			152	0.10		
			154	0.26		
			155	0.46		
			159	0.39		
			161/2	0.40		
			156	0.60		
			158	0.26		
			160	1.22		
			416	0.90		
			446	0.95		
			163	0.80		
			164	0.70		
			165	0.44		
			166	0.19		
			258	0.29		
			173	0.57		
			179	1.09		
			180	1.09		
			181	0.97		
			405	0.36		
			491	0.19		
			182	1.10		
			442	1.52		
			183	0.51		
			443	1.35		
			191	0.46		
			198	0.19		
			200	0.20		
			205/2	0.12		
			207	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			230	0.17		
			231	0.20		
			482	0.40		
			483	0.68		
			232	0.53		
			233	0.30		
			235	0.56		
			237/1	2.79		
			238	1.59		
			237/2	0.28		
			239	1.45		
			240	1.97		
			245	0.76		
			247	0.84		
			248/1	0.55		
			248/2	0.51		
			248/3	0.51		
			248/5	0.51		
			250	0.24		
			358/1	0.90		
			248/4	0.51		
			252	0.75		
			254	0.76		
			255/1	0.36		
			255/2	0.26		
			255/6	0.08		
			411	3.34		
			259	0.03		
			287/1	0.23		
			288/1	0.07		
			353	0.02		
			354	1.06		
			355/1	0.37		
			355/2	0.37		
			355/3	0.35		
			355/4	0.36		
			355/5	0.36		
			356	0.85		
			367	3.02		
			358/2	0.77		
			359	0.79		
			365	0.79		
			360/1	9.36		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			360/2	0.35		
			361/1	0.29		
			361/2	0.30		
			361/3	0.30		
			362	1.25		
			363	1.27		
			413	3.99		
			364	3.78		
			366	0.33		
			373	0.41		
			370	2.32		
			374	0.39		
			381/1	0.10		
			382/1	0.35		
			375/1	0.03		
			371	0.01		
			392	4.67		
			397	0.28		
			407	0.97		
			410	0.30		
			393	0.85		
			394	1.70		
			396	2.19		
			459	0.67		
			395	0.67		
			404/1	0.14		
			406	0.75		
			408	0.69		
			414	2.25		
			415	2.50		
			418	1.02		
			419/1	0.07		
			419/2	0.40		
			419/3	0.40		
			420	1.91		
			202/1	1.20		
			421	1.62		
			422	1.70		
			423	0.80		
			425	0.44		
			424	1.37		
			426/1	0.25		
			178/1	1.67		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			426/2	0.25		
			178/2	2.01		
			178/3	1.67		
			426/3	0.25		
			427	0.80		
			429	1.20		
			478	0.28		
			430	0.41		
			439	0.41		
			431	0.40		
			432	0.42		
			475	0.33		
			433	0.06		
			438	0.41		
			434	1.88		
			435	0.76		
			468	0.20		
			437	0.85		
			476	0.78		
			469	0.92		
			440	0.23		
			461	1.89		
			463	0.60		
			466	0.60		
			479	0.30		
			445	0.40		
			456	0.06		
			480	0.72		
			481	2.22		
			470/3	0.55		
			484	0.30		
			488	0.02		
			493	0.64		
			162/1	1.10		
			162/2	1.07		
			202/2	0.40		
			428/1	0.81		
			428/2	0.81		
			470/2	1.09		
			497/2	6.68		
			470/4	0.36		
			496/2	0.16		
			497/10	0.36		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			497/6		0.18	
			470/5		0.36	
			472/4		0.73	
			473		0.13	
			496/3		0.31	
			497/5		0.11	
			497/8		0.36	
			472/5		0.78	
			496/1		0.16	
			497/4		0.21	
			497/9		0.37	
			497/1		0.16	
			497/3		0.20	
			497/7		0.33	
			205/1		0.12	
			205/3		0.21	
			375/2		0.02	
			381/2		0.10	
			382/2		0.35	
			382/3		0.35	
			382/4		0.36	
			404/2		0.14	
			404/3		0.14	

योग : 171.94

शासकीय भूमि	234,387,465,	
	467,494,132	
	192,241,357,	
	400,489,444,	
	243,174/1,441,	42.69
	25,31,97,127,	
	133,177,203,	
	242,2499,253,	
	260,290,383,	
	386,409,447,	
	457,460,462,	
	498,236	

योग : 214.63

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र. क्यू-भू-अर्जन-39-09-10-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	करैरा	लालपुर	515/1	0.72	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांयीं तट नहर संभाग नरवर, जिला शिवपुरी, म. प्र.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्च स्तरीय नहर पर लालपुर पिकअप वियर का निर्माण कार्य बावत्.
			515/2	0.05		
			515/3	0.43		
			516	0.81		
			518	0.44		
			519	0.85		
			520	0.20		
			522	0.09		
			523	0.03		
			524	0.20		
			525	0.04		
			526	0.05		
			527	0.27		
			528	0.13		
			529	0.12		
			530	0.27		
			531	0.18		
			533	0.21		
			534	0.05		
			535	0.52		
536	0.18					
537	0.31					
538	0.19					
539	0.36					
544	0.11					
545	0.15					
546	0.10					
547	0.03					
548	0.01					
कुल योग :			7.10			

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. 1383-भू-अर्जन-नहर-2010-प्र. क्र. 31-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित ग्राम की, भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	बड़वानी	बलखड़	3.757	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास स. क्र. 11, बड़वानी, जिला बड़वानी.	इन्दिरा सागर परियोजना की चतुर्थ चरण की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधी अन्य कार्य हेतु.

भूमि का नक्शे (प्लान) का भू-अर्जन अधिकारी, इन्दिरा सागर परियोजना (नहर) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 11, बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. 7260-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम-छाताकला ब. नं. 22 प.ह.नं. 24 रा.नि.मं.-हरई	02.084 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	मुर्गीटोला जलाशय के अंतर्गत सड़क निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7261-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

#### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम-तेंदूखेड़ा ब. नं. 33 प.ह.नं. 15 रा नि.मं.-हरई	03.808 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.	भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7262-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4

की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम-ढोड़ा ब. नं. 29 प.ह.नं. 15 रा नि.मं.-हरई	01.980 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.	भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7263-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम-तेंदनी ब. नं. 32 प.ह.नं. 15 रा नि.मं.-हरई	0.405 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.	भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7264-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम-अमारी ब. नं. 02 प.ह.नं. 20 रा नि.मं.-हरई	01.130 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा. जिला छिन्दवाड़ा.	भेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 7323-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4

की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम-भुमका ब. नं. 46 प.ह.नं. 17	11.233 हेक्टर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	भुमका जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

रा नि.मं.-बटकाखापा

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र. 833-भू-अर्जन-गोपद बनास-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2)के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	गोपद बनास	कोतरकला	0.166	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्र. 1, सीधी.	गोपाल दास पिकप वियर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 9731-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने 4 में भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) से दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	नापानेरा नेवज नेवली राजपुरा लालपुरा	0.688 1.643 4.574 1.622 1.054	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग नरसिंहगढ़.	नारायणपुरा तालाब की नहर निर्माण क्षेत्र में आई निजी भूमि का अर्जन.
कुल योग :			9.581		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लोकेश जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. 650-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	इन्दौर	कम्पेल	1.433	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग इन्दौर.	नाबार्ड योजना के अंतर्गत गंगानाला तालाब एवं गंगानाला तालाब की नहर निर्माण हेतु.
कुल योग :			1.433		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला इन्दौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 14 जून 2010

क्र. क्यू-भूमि संपादन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन  
(ख) तहसील—उज्जैन  
(ग) ग्राम—ढेंढिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.601 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

102/1/3

0.042

102/1/2

0.014

104

0.094

108

0.084

110

0.367

योग . . 0.601

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदौर-उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्र. 22-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—शमशाबाद  
(ग) ग्राम—हिनोतियामाली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—126.830 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

199

0.050

215

0.050

472/3

0.068

209

0.282

317

0.400

210

0.280

216

0.021

238

0.387

218

0.052

422

0.993

220

0.500

221

0.905

222

1.275

225

0.690

226

0.230

410

0.585

241

2.006

404

1.317

242

0.650

244

0.080

247

0.105

260

0.580

345

0.533

248

0.250

343

0.387

344

0.178

249

0.188

251

0.636

(1)	(2)	(1)	(2)
252/2	2.300	331	0.050
254	1.484	341	0.261
255	2.090	351/2	0.503
347	1.359	348	0.376
256	0.410	351/1	0.418
257	0.230	349	1.077
258	0.230	350/1	0.297
259	0.219	390	0.690
261	0.070	342	0.990
262	0.072	346/1	0.198
316/1	0.490	346/2	0.199
365	2.780	352	0.836
367/1	0.941	382	1.254
371/1	0.105	355	2.874
318	0.973	357	0.428
319	0.470	358	1.349
397	1.181	359	0.543
320	0.146	360	0.513
321	0.146	361	1.735
322	0.146	362	0.846
426/1	1.158	375	0.094
323/1क	2.749	406	0.742
323/2ख	1.237	411/1	1.035
379	0.523	303/2/2	1.246
323/2	0.676	409	0.815
324/1/1	0.418	428	0.150
324/2	1.881	363/1	0.527
418/3/3	0.705	383	1.254
324/1/2	0.121	363/2/1	0.527
324/1/3	1.845	364	2.700
384	0.627	372	0.867
325	1.202	367/2	1.922
356	1.364	371/2	0.188
327	1.780	370	0.878
335	0.150	412	0.711
336	0.105	413	0.157
337	0.830	374	0.261
338	1.066	419	1.000
387	0.334	377	0.523
388	0.199	378	0.241
391	1.150	381	0.543
392	0.418	385	1.620
393	1.631	432	0500
402	0.105	394/1	0.529
339	2.258		



(1)	(2)
395/2	0.520
396	1.066
395/1	1.226
350/2	0.112
394/2	0.088
398	1.717
426/2	1.300
399	2.717
427	0.461
400	1.264
411/2	0.209
429/2	0.400
403	2.633
405	0.482
421	0.575
407/1	0.532
407/2	1.349
408	0.314
414	0.199
416	0.146
420/2/1	1.881
417	0.230
423	0.993
415	0.815
420/1	1.463
420/2/2	0.189
424	1.536
425	1.181
436	0.890
437/1	1.254
437/2	1.254
438/2	0.560
469/1	0.258
469/2	0.800
474	0.805
599/1	1.500
604/1	1.881
604/2	1.852
604/3	1.000
239	0.320
472/2	1.105
472/1	0.310
418/2	0.490
योग . . .	<u>126.830</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 30-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
 (ख) तहसील—शमशाबाद  
 (ग) ग्राम—डंगरवाड़ा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.163 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
278	0.210
276	0.050
277	0.420
275	0.150
294	0.110
293	0.010
305	0.090
306	0.140
310	0.270
313	0.140
315	0.100
321	0.530
322	0.050
296	0.090
235	0.280
233	0.130
229	0.150
226	0.120

(1)	(2)
222	0.120
225	0.003
योग . .	<u>3.163</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 32-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—शमशाबाद  
(ग) ग्राम—बेरखेड़ी किरार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.892 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
214	0.400
218/1	0.090
218/2	0.072
219	0.110
220	0.210
222	0.010
योग . .	<u>0.892</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सापन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—कुरवाई  
(ग) ग्राम—बगोदा (स्पिल चैनल)  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.635 हैक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
145/1	1.000
100/2	0.216
206/4	1.194
206/6	0.104
189/1	4.858
187/1	0.924
187/2	0.686
193	2.926
117/3	0.010
189/5	0.100
196/2	0.052
207/2	0.052
218/1क	0.250
218/1ख	0.171
219/1ख	0.047
219/5	0.045
योग . .	<u>12.635</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की स्पिल चैनल निर्माण एवं खुदाई कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 02-अ-82-09-10.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—कुरवाई  
(ग) ग्राम—बनोह  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.526 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित रकबा (है. में)
(1)	(2)
58	0.184
61/2	0.200
129	0.114
61/1	0.432
62	0.015
63	0.042
64	0.197
66/2	0.065
134	0.145
135	0.230
136	0.234
203	0.415
202	0.062
201/1	0.069
179	0.180
180	0.305
181	0.100
176	0.125
133/1	0.202
198	0.072
201/2	0.069
201/3	0.069
योग . .	<u>3.526</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 03-अ-82-09-10.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—कुरवाई  
(ग) ग्राम—सिमरधान  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.210 हैक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित रकबा (है. में)
(1)	(2)
164	0.107
165/1	0.250
165/2	0.225
166	0.020
149/2/2	0.081
151/3/1	0.031
151/3/2	0.009
151/1	0.487
योग . .	<u>1.210</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 04-अ-82-09-10.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—कुरवाई  
(ग) ग्राम—रमखिरिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.008 हैक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (है. में)
(1)	(2)
146/2	0.189
146/1	0.012
148/2	0.072
162	0.216
163	0.270
160	0.072
159	0.144
158/2	0.054
156/2	0.180
157	0.153
102	0.010
86/2	0.253
91	0.390
92/2	0.206
88/2	0.264
88/1	0.471
86/1	0.156
81	0.313
82/1	0.190
83/2	0.181
83/1	0.208
183	0.004
योग . . .	<u>4.008</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 05-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—कुरवाई  
(ग) ग्राम—सपली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.444 हैक्टेयर.

खसरा क्र.	अर्जित रकबा (है. में)
(1)	(2)
221/1	0.221
221/2	0.250
66	0.542
40/1	0.229
40/2/2/2	0.264
204	0.372
203	0.498
195	0.034
188	1.077
181	0.039
37/1	0.034
37/2	0.034
178/1/3	0.287
178/1/2	0.233
178/1/1	0.179
77	0.017
70	0.666
72	0.030
40/2/2/1	0.538
36	1.359
34/2	0.240
33/1	0.065
33/2	0.029
34/1	0.183
35	0.852
21/1	0.249
26/1	0.575
19	0.021

(1)	(2)	(1)	(2)
22	0.930	57/1	0.026
23	0.039	59/1	0.073
28/2	0.359		योग . . . 3.958
26/2/2	0.418		
26/2/1	0.164		
27	0.052		
196	0.365		
	कुल योग . . . 11.444		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क)	जिला—विदिशा	खसरा क्र.	अर्जित रकबा
(ख)	तहसील—कुरवाई		(हे. में)
(ग)	ग्राम—दाऊदखेड़ी	(1)	(2)
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—3.958 हैक्टेयर.		
	खसरा क्र.		अर्जित रकबा
	(1)		(हे. में)
	78/2		0.548
	78/1		0.333
	82/1		0.088
	80		0.587
	81/1		0.935
	60/2		0.665
	60/1		0.342
	66		0.114
	68		0.091
	74		0.156

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क)	जिला—विदिशा	खसरा क्र.	अर्जित रकबा
(ख)	तहसील—कुरवाई		(हे. में)
(ग)	ग्राम—ख्वाजाखेड़ी	(1)	(2)
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—4.160 हैक्टेयर.		

	खसरा क्र.	अर्जित रकबा
		(हे. में)
	(1)	(2)
	31	0.097
	35/2	0.825
	36/4	0.160
	36/3	0.130
	17	0.130
	18	0.548
	36/2	0.104
	15	0.233
	8	0.440
	36/1	0.114
	14	0.857
	7	0.052
	9	0.470
	योग . . .	4.160

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 अगस्त 2010

क्र. क-7988-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—रहली  
(ग) ग्राम—सहुआ  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.52 हैक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5	0.19
4/1-8	0.17
17/2-3	0.16
योग . .	0.52

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-7989-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—रहली  
(ग) ग्राम—हर्रा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.49 हैक्टर.

खसरा नं. में से	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
5	0.17
6	0.10
7	0.10
21/1	0.02
21/2	0.03
22/1	0.04
22/2	0.03
योग . .	0.49

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क-7993-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—रहली

(ग) ग्राम—छपरा	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.08 हेक्टर.	414/1	0.02
खसरा नं.	417/2	0.08
में से	418	0.10
(1)	419	0.07
10	420	0.08
16/1	424	0.12
17	421/2	0.10
59	423	0.05
60	422	0.04
61	633/1	0.04
62	608	0.04
63	633/2, 633/3	0.08
64	606	0.15
67/1	643	0.15
70	642	0.07
71	641/1	0.14
72	635	0.08
73	639/1	0.09
89/1	637/2	0.10
92	638/2	0.07
93	641/2+3	0.05
100		योग . . 7.08
102		
104		
105		
325		
339		
340/1		
341		
343		
350/1		
351		
352/1		
374		
375		
379/2		
380/1		
380/2		
411		
412		
413		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—तिनसी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7995-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—रहली

(ग) ग्राम—जूना	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.01 हेक्टर.	531/11	0.06
खसरा नं.	549/1-2	0.05
में से	552	0.03
(1)	553	0.16
5	554	0.02
6	566	0.14
7	567/2	0.08
166/1-3	568/1	0.12
169/1-2	568/2	0.10
160/1	578	0.14
170/1	579	0.12
170/2	588	0.02
176	590/1	0.10
178	590/2	0.02
179/1	590/3	0.12
180/1	1039	0.36
181	1044/3	0.20
187	1087	0.02
190	1088/1-3	0.20
191/1-2	1088/2	0.09
192	1088/4	0.06
193	1110	0.38
195/1	8	0.25
195/3	9	0.17
198	12	0.20
195/1175	13	0.08
452	27	0.30
456/1	34	0.20
457/2	40	0.29
466	41/1	0.07
472/1173	41/2	0.18
473	41/3	0.06
474	616	0.15
475	637/1, 637/2, 637/3	0.02
478	638/1, 638/2	0.14
480	649/2-3	0.10
481	651	0.01
482	652	0.05
530/1	653	0.05
531/1	654	0.01
531/2	661/1	0.09
531/3	661/2	0.10
531/5	662/1, 662/2, 662/3	0.10
531/9	662/4, 662/5	



(1)	(2)
683/1	0.05
683/2	0.02
685/2-3	0.09
686	0.15
690	0.16
693	0.12
695	0.12
योग . .	<u>9.01</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—तिनसी मारंपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7997-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन की आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—देवरी  
(ग) ग्राम—कंजेरा, प.ह.नं. 22  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.12 हेक्टर.

खसरा नं. में से (1)	रकबा (हे. में) (2)
106	0.25
110	0.45
111	0.06
159/8	0.50
159/9	0.29
159/10	0.15
159/14	0.22
159/15	0.20
योग . .	<u>2.12</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7999-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—देवरी  
(ग) ग्राम—मुआरखास, प.ह.नं. 23  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.42 हेक्टर.

खसरा नं. में से (1)	रकबा (हे. में) (2)
2	0.15
23	0.40
43	0.02
44	0.34
46	0.22
47/521	0.45
50/1	0.01
51/1	0.29
50/2, 51/2	0.29
52	0.07
61	0.26
68/1, 68/3	0.30
68/2	0.15
68/4	0.58
69	0.58
70	0.24
93	0.20
94	0.18
96	0.10
97	0.11

(1)	(2)	(ग)	ग्राम—देवरी बखत, प.ह. नं. 22
98	0.08	(घ)	लगभग क्षेत्रफल—3.19 हेक्टर.
99	0.17	खसरा नं.	रकबा
100	0.35	में से	(हे. में)
103	0.17	(1)	(2)
104	0.02	3/1	0.06
105	0.33	3/2	0.06
106	0.12	4	0.75
109	0.40	23/1	0.21
112/1	0.40	23/2	0.21
112/2	0.02	23/3	0.19
153/1	0.25	31/3	0.45
153/2	0.14	31/6, 31/7	0.50
153/525	0.01	32	0.76
154	0.02	योग . .	<u>3.19</u>
156	0.10	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.
157	0.25	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
158	0.04		
246	0.15		
247/1	0.30		
247/2	0.25		
248/2	0.30		
248/3	0.40		
कुल अर्जित भूमि योग . .	<u>8.42</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सतधारा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8001-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—देवरी

क्र. 8003-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—रहली  
(ग) ग्राम—बगरोन  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.14 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा
में से	(हे. में)
(1)	(2)
5	0.10
7	0.12
9	0.04
10/1	0.05

(1)	(2)
10/2	0.08
12/1-8	0.20
149/1-2	0.12
150	0.03
165	0.06
166	0.02
167	0.08
168/1-2-3	0.08
175	0.05
176	0.03
179/1	0.06
180/1-2-3	0.03
181	0.06
182/2	0.06
200	0.02
201	0.05
203	0.09
204	0.07
264/1-5	0.12
264/6	0.04
265	0.16
290	0.05
291/1	0.04
292	0.08
293	0.06
294	0.09
योग . .	<u>2.14</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8022-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
 (ख) तहसील—रहली  
 (ग) ग्राम—निवारी  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.98 हेक्टर.

खसरा नं. में से (1)	रकबा (हे. में) (2)
23	0.14
24	0.30
32	0.02
33	0.04
35	0.06
36	0.02
38	0.04
39	0.01
42	0.03
43	0.24
45/1	0.02
45/2	0.02
46/1	0.05
46/2	0.02
46/3	0.09
58/1	0.21
62	0.20
64	0.28
169/1	0.09
169/2	0.08
169/3	0.07
170	0.07
172	0.08
173/1	0.04
173/2	0.04
176	0.09
177	0.19
242	0.04
243	0.15
244	0.15
245/1	0.10
योग . .	<u>2.98</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—तिन्सी मारपानी जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्र, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर.	(1)	(2)
	803	0.05
	804	0.03
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली के कार्यालय में किया जा सकता है.	805	0.09
	806	0.05
	807	0.18
	योग . .	<u>1.20</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**मनीष श्रीवास्तव**, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्र. 6-अ-82-2008-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दतिया  
(ख) तहसील—दतिया  
(ग) ग्राम—भदूमरा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.20 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
778	0.01
779	0.08
782	0.03
784	0.01
783	0.19
871	0.05
870	0.08
869	0.09
799/1	0.06
867/1	0.09
800	0.10
801	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत दांया तट नहर (महुअर नदी पश्चात्) की शाखा डी-8 शाखा नहर की आर. एम. 6 नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**जयश्री क्रियावत**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र. 1159-4-अ-82-08-09-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—कुक्षी  
(ग) ग्राम—निसरपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—65.00 वर्ग मी.

सर्वे नं.	रकबा (वर्ग मी. में)
(1)	(2)
158/1/1/1/2	65.00
योग . .	<u>65.00</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्यीय) प्रोजेक्ट में आने से.	(1)	(2)
	256/1	0.120
	250	0.187
<b>नोट.</b> —भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुशी एवं कार्यपालन यंत्रि, लो. नि. वि. नघा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग, कुशी, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.	262	0.067
	263	0.210
	264	0.030
	182	0.172
	172	0.045
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, <b>बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.</b>	174	0.045
	167	0.093
	163	0.021
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	166	0.003
	158	0.015
	392/1	0.085
	393/1	0.095
राजगढ़, दिनांक 30 अगस्त 2010		योग . . . 1.690

क्र. 9728-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़  
(ख) तहसील—ब्यावरा  
(ग) नगर/ग्राम—मोतीपुरा/खरेटियाखुर्द/खरेटियाकलॉ  
(घ) क्षेत्रफल—7.609 हेक्टर.

### ग्राम—मोतीपुरा

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)		
231	0.032	303/1	0.090
230	0.065	303/2	0.085
255/2	0.060	300/1	0.105
256/2	0.105	301	0.015
236	0.075	298	0.060
237/3	0.090	269/1	0.075
255/1	0.075	147	0.195
		270	0.007
		271	0.022
		290/2/2	0.067
		287/1	0.037
		286/1	0.091
		285/1	0.045
		143/2	0.019
		284/1	0.082
		286/3	0.010
		285/3	0.052
		56/2	0.090
		143/1/2	0.019
		143/1/3	0.065
		143/1/1	0.152
		285/2	0.037
		54/1	0.100

### ग्राम—खरेटियाखुर्द

(1)	(2)
54/2	0.080
55/2/2	0.056
55/2/1	0.056
56/1	0.090
63	0.165
64	0.105
260/2/2	0.075
268	0.270
261	0.180
260/1	0.180
294/1	0.125
292/1	0.125
294/2/1	0.131
292/2	0.370
291/1	0.110
291/2	0.200
290/2/2	0.136
288/1/1	0.180
287/2	0.102
288/1/2	0.150
274	0.342
275	0.320
277	0.400
योग . .	<u>5.468</u>

**ग्राम-खरेटियाकला**

251	0.045
252	0.256
257	0.150
योग . .	<u>0.451</u>
महायोग . .	<u>7.609</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मोतीपुरा तालाब की मुख्य एवं मायनर नहर के स्पिल चैनल के निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

बैतूल, दिनांक 30 अगस्त 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2009-10-6566.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल  
(ख) तहसील—मुलताई  
(ग) नगर/ग्राम—झिरी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.876 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
108/1	0.139
108/2	0.480
110/2	0.135
111/1	0.550
111/2	0.756
111/4	0.121
125/1	0.002
126/1	0.798
126/2	0.895
योग . .	<u>3.876</u>

- (2) सार्वजनिक जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— मुलताई से वरूड मार्ग पर बार्डर चैक पोस्ट निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमहाप्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-वर्ष 2009-10-6567.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल  
(ख) तहसील—मुलताई  
(ग) नगर/ग्राम—ईसापुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.687 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
159/4	0.008
159/5	0.132
159/8	0.381
159/9	0.486
159/11	0.499
159/12	1.134
159/13	0.112
159/14	0.202
160	2.204
162	2.710
172/1	0.819
योग . . .	8.687

- (2) सार्वजनिक जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— मुलताई से वरूड मार्ग पर बार्डर चेक पोस्ट निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.  
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) उपमहाप्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विजय आनन्द कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 31 अगस्त 2010

क्र. 999-भू-अर्जन-देपालपुर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्दौर  
(ख) तहसील—देपालपुर  
(ग) ग्राम—खडी एवं बरोदापंथ  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.646 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
<b>ग्राम-खडी</b>	
231/1 पार्ट	0.138
231/2 पार्ट	0.020
231/3 पार्ट	0.125
238/1 पार्ट	0.048
93/5 पार्ट	0.036
99/1 पार्ट	0.111
99/2 पार्ट	0.063
101 पार्ट	0.121
102 पार्ट	0.134
215 पार्ट	0.016
217/2 पार्ट	0.130
225/1 पार्ट	0.008
226/1 पार्ट	0.121
226/2 पार्ट	0.068
233 पार्ट	0.170
236 पार्ट	0.186
237/3 पार्ट	0.072
257/1 पार्ट	0.036
258/2 पार्ट	0.279

(1)	(2)
258/3 पार्ट	0.206
258/4 पार्ट	0.081
258/5 पार्ट	0.093
259/1 पार्ट	0.138
योग . .	<u>2.400</u>

**ग्राम—बरोदापंथ**

1/1 पार्ट	0.206
1/6 पार्ट	0.040
योग . .	<u>0.246</u>
महायोग . .	<u>2.646</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ग्राम खडी तालाब निर्माण, नहर निर्माण एवं वेस्ट वियर हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

इन्दौर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. 3075-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

**अनुसूची****(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—इन्दौर  
(ख) तहसील—सांवेर  
(ग) नगर/ग्राम—सांवेर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.180 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा  
(हेक्टर में)

(1)	(2)
807 पार्ट	0.033
799/2, 800/2 पार्ट	0.093
796/2, 797/1/1 पार्ट	0.033

(1)	(2)
695/2, 696/1/1 पार्ट	0.001
695/2, 696/1/1 पार्ट	0.006
695/2 पार्ट	0.008
695/2 पार्ट	0.006
योग . .	<u>0.180</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इन्दौर, उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अन्तर्गत भूमि के अर्जन बाबद्.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3077-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

**अनुसूची****(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—इन्दौर  
(ख) तहसील—सांवेर  
(ग) नगर/ग्राम—जाख्या  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.146 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा  
(हेक्टर में)

(1)	(2)
4/1/2 पार्ट	0.052
4/1/1 पार्ट	0.010
6/1/1ख पार्ट	0.127
6/1/1घ पार्ट	0.045
6/1/1 (1) पार्ट	0.040
6/2/2 पार्ट	0.122
28/2/2 पार्ट	0.026
35/1 पार्ट	0.045
35/3 पार्ट	0.060
36 पार्ट	0.107



(1)	(2)	(ग) ग्राम—पपरौड़ी	(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.530 हेक्टर.
37/1 पार्ट	0.028	खसरा नं.	रकबा
37/2 पार्ट	0.028		(हे. में)
37/3 पार्ट	0.056	(1)	(2)
38/1/1 पार्ट	0.044	107/1 (क)1/1	0.040
38/1/2 पार्ट	0.044	107/1 (क)1/2	0.040
43/1/1 पार्ट	0.072	107/1 (क)1/3	0.081
42/2, 43/1/2 पार्ट	0.043	107/1 (क)2	0.364
42/3, 43/1/3 पार्ट	0.043	107/1 (ख)	0.101
44/1/3/1 पार्ट	0.016	107/2	0.053
44/2 पार्ट	0.002	108/2	0.081
44/3 पार्ट	0.034	134	0.040
45/1/1 पार्ट	0.030	144/3	0.825
45/1/2 पार्ट	0.072	147/1	0.020
योग . . .	<u>1.146</u>	147/2	0.547

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के जिसके लिये आवश्यकता है—  
इन्दौर, उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण अन्तर्गत भूमि के अर्जन बाबद्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर, तहसील सांवेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राघवेंद्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. 10252-दस-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अनूपपुर  
(ख) तहसील—जैतहरी

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बार्डर चेकपोस्ट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे पट का निरीक्षण कलेक्टर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कवीन्द्र किशोरावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

योग . . . 4.530

## राज्य शासन के आदेश

### वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. एफ-25-43-2010-दस-3.—चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग (1), दिनांक 12 जनवरी 1968 प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3925-1335-दस, दिनांक 2 मई 1967 द्वारा, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और, चूंकि, उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से आरक्षित वन घोषित करती है :-

### अनुसूची

जिला—सतना, तहसील—मझगंवा, वनमंडल—सतना ( सामान्य ) वन परिक्षेत्र—मझगंवा

क्र.	वन का नाम			क्षेत्रफल				सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान स्वरूप	पुराना खसरा क्र.	क्षेत्रफल (एकड़ में)	नया खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अमुआ	अमुआ (1) प.ह.नं.49	संरक्षित वन	1	4.00	1	1.619	उत्तर—ग्राम रसोईया की सीमा, खसरा नम्बर 6, 10 एवं चमरौहा नाला के रूप में. पूर्व—ग्राम पचौहा एवं अधराखोह ग्राम की सीमा, ग्राम बिजहरी की सीमा एवं मुनारा क्र. 111/4 से 119/12 तक. दक्षिण—अमुआ वनखण्ड के मुनारा क्र. 119/12 से 124/5 तक एवं कुशियरा, भटहा ग्राम की सीमा. पश्चिम—अमुआ ग्राम की सीमा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 138/12 से 161/24 तक.
				2	1.25	2	0.506	
				3	1.60	3	0.648	
				4	70.00	4	28.329	
				5	0.08	5	0.032	
				6	30.00	6	12.141	
				7	0.39	7	0.158	
				8	60.00	8	24.282	
				9	62.20	9	25.172	
				10	42.00	10	16.997	
				11	0.38	11	0.154	
				12 भाग	32.45	12 भाग	13.132	
				13 भाग	0.07	13 भाग	0.028	
				19 भाग	24.55	19 भाग	9.935	
				21 भाग	19.25	21 भाग	7.790	
				22	1.55	22	0.627	
				23	4.00	23	1.619	
				24	0.82	24	0.332	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				25	0.40	25	0.162	
				26	0.16	26	0.065	
				27	1.18	27	0.478	
				28	0.23	28	0.093	
				29	2.70	29	1.093	
				30	1.15	30	0.465	
				31	0.80	31	0.324	
				32	2.80	32	1.133	
				33	3.75	33	1.518	
				34	0.25	34	0.101	
				35	12.80	35	5.180	
				36	0.81	36	0.328	
				37	5.30	37	2.145	
				38	5.85	38	2.368	
				39	0.30	39	0.122	
				40	2.49	40	1.008	
				41	1.55	41	0.627	
				42	1.06	42	0.429	
				43	1.10	43	0.445	
				44	0.45	44	0.182	
				45	1.90	45	0.769	
				46	3.21	46	1.299	
				47	0.48	47	0.194	
				48	2.80	48	1.133	
				49	2.50	49	1.012	
				50	0.50	50	0.202	
				51	1.09	51	0.441	
				52	0.45	52	0.182	
				53	8.25	53	3.339	
				54	0.10	54	0.040	
				55	4.30	55	1.740	
				56	0.42	56	0.170	
				57 भाग	0.50	57 भाग	0.202	
				59 भाग	0.35	59 भाग	0.142	
				60 भाग	0.10	60 भाग	0.040	
				62 भाग	0.20	62 भाग	0.081	
				63	0.58	63	0.235	
				64	1.90	64	0.769	
				65 भाग	0.40	65 भाग	0.162	
				81 भाग	15.40	81 भाग	6.232	
				82 भाग	0.25	82 भाग	0.101	
				113 भाग	0.10	113 भाग	0.040	
				116 भाग	0.67	116 भाग	0.271	
				127 भाग	0.96	127 भाग	0.389	
				128 भाग	0.65	130 भाग	0.263	
				130 भाग	0.25	130 भाग	0.101	
				380 भाग	0.07	380 भाग	0.028	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				382 भाग	314.00	382 भाग	127.074	
				383	0.50	383	0.202	
				384	50.50	384	20.437	
				385	1.25	385	0.506	
				386 भाग	108.50	386 भाग	43.909	
				योग . .	922.85		373.472	
2	अमुआ	महापार	संरक्षित वन	1 भाग	6.81	1 भाग	2.756	उत्तर—ग्राम रसोईया की सीमा,
				7 भाग	1.75	7 भाग	0.708	खसरा नम्बर 26, 34, 33,
				8	0.02	8	0.008	31, 30, 28, 16, 12 तथा
				9	0.26	9	0.105	नाला.
				10	0.89	10	0.360	पूर्व—रसोईया, अमुआ ग्राम की
				11	0.42	11	0.170	सीमा तथा वनखण्ड के मुनारा
				12	5.68	12	2.299	क्रमांक 161/24 तक.
				13 भाग	1.70	13 भाग	0.688	दक्षिण—वनखण्ड के मुनारा क्र.
				27 भाग	1.80	27 भाग	0.729	161/24 से मुनारा क्रमांक
				28	29.87	28	12.088	165/4 तक.
				29	0.53	29	0.215	पश्चिम—वनखण्ड के मुनारा क्र.
				30	2.52	30	1.020	165/4 से 170/1 तक तथा
				31	0.51	31	0.206	पिपरहाई ग्राम की सीमा.
				32	6.80	32	2.752	
				33 भाग	7.51	33 भाग	3.039	
				34	7.55	34	3.056	
				35	0.23	35	0.093	
				36	2.66	36	1.076	
				37	4.91	37	1.987	
				38 भाग	5.10	38 भाग	2.064	
				39 भाग	0.08	39 भाग	0.032	
				योग . .	87.60		35.451	
3	अमुआ	बीरपुर प.ह.नं.32	संरक्षित वन	1 भाग	24.15	1 भाग	9.773	उत्तर—छतहरी ग्राम की सीमा तथा
				15 भाग	0.25	15 भाग	0.101	खसरा क्रमांक 26.
				16 भाग	0.75	16 भाग	0.304	पूर्व—मुनारा क्र. 196/1 से
				योग . .	25.15		10.178	198/3 तक.
								दक्षिण—मुनारा क्र. 198/3 से
								201/6 तक.
								पश्चिम—ग्राम नडोर की सीमा.
4	अमुआ	नडोर प.ह.नं.32	संरक्षित वन	49	0.90	49	0.364	उत्तर—ग्राम छतहरी की सीमा.
				50	0.91	50	0.368	पूर्व—ग्राम छतहरी की सीमा.
				51	12.40	51	5.018	दक्षिण—वनखण्ड के मुनारा क्र.
				52 भाग	76.40	52 ग्राम	30.919	202/1 से 204/3 तक तथा
				53	1.90	53	0.769	ग्राम वीरपुर की सीमा.
				54	1.65	54	0.668	पश्चिम—वनखण्ड के मुनारा क्र.
				योग . .	94.16		38.106	204/3 से 211 तक तथा
								सरभंगा वनखण्ड की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	अमुआ	छतहरी	संरक्षित	1	16.37	1	6.625	उत्तर—उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा पूर्व—पिपरहाई ग्राम की सीमा तथा खसरा नम्बर 23 एवं मुनारा क्र. 181/1 से 196/1 तक. दक्षिण—वीरपुर ग्राम की सीमा पश्चिम—वनखण्ड के मुनारा क्र. 202/1 से तथा नडोर ग्राम की सीमा.
		प.ह.नं.32	वन	2	23.70	2	9.591	
				3	22.16	3	8.968	
				4	25.44	4	10.295	
				5	15.00	5	6.070	
				6	23.50	6	9.510	
				7	31.50	7	12.748	
				8	33.50	8	13.557	
				9	1.00	9	0.405	
				10	12.50	10	5.059	
				11	22.50	11	9.106	
				12 भाग	22.69	12 भाग	9.183	
				13 भाग	0.60	13 भाग	0.243	
				14 भाग	0.78	14 भाग	0.316	
				23 भाग	10.90	23 भाग	4.411	
				24 भाग	16.50	24 भाग	6.678	
				25	5.05	25	2.044	
				26 भाग	27.99	26 भाग	11.327	
				27 भाग	1.44	27 भाग	0.583	
				58 भाग	0.40	58 भाग	0.162	
				120 भाग	1.47	120 भाग	0.595	
				122 भाग	1.49	122 भाग	0.603	
				123 भाग	24.35	123 भाग	9.854	
				124	14.26	124	5.771	
				125	2.60	125	1.052	
				126	2.60	126	1.052	
				127	2.22	127	0.898	
				128	2.43	128	0.983	
				129	0.53	129	0.214	
				130	0.54	130	0.219	
				131	7.10	131	2.873	
				132	2.56	132	1.036	
				133	2.62	133	1.060	
				134	0.04	134	0.016	
				135	0.95	135	0.385	
				136	3.16	136	1.279	
				137	2.07	137	0.838	
				138	0.53	138	0.214	
				139	1.68	139	0.680	
				140	2.55	140	1.032	
				141	7.00	141	2.833	
				142	0.40	142	0.162	
				143	5.80	143	2.347	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				144	0.36	144	0.146	
				145	6.63	145	2.683	
				146	0.34	146	0.138	
				147	1.05	147	0.425	
				148	9.00	148	3.642	
				149	3.80	149	1.538	
				150	0.66	150	0.267	
				151	2.35	151	0.951	
				152	2.50	152	1.012	
				153	1.17	153	0.473	
				154	5.80	154	2.347	
				155	0.70	155	0.283	
				156	0.55	156	0.223	
				157	2.00	157	0.809	
				158	1.43	158	0.579	
				159	2.81	159	1.137	
				160	0.36	160	0.146	
				161	0.70	161	0.283	
				162	3.39	162	1.372	
				163	1.03	163	0.417	
				164	3.20	164	1.295	
				165	0.25	165	0.101	
				166	0.10	166	0.040	
				167	0.48	167	0.194	
				168	0.93	168	0.376	
				169	0.75	169	0.304	
				170	0.08	170	0.032	
				171	0.45	171	0.182	
				172	2.33	172	0.943	
				173	22.50	173	9.106	
				174	1.05	174	0.425	
				175	1.20	175	0.486	
				176	0.50	176	0.202	
				177	9.50	177	3.845	
				178	22.00	178	8.903	
				179	29.00	179	11.736	
				180	22.50	180	9.106	
				181	31.00	181	12.546	
				182	31.50	182	12.748	
				183	31.50	183	12.748	
				184	1.50	184	0.607	
				योग	661.42		267.673	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
6	अमुआ	पिपरहाई प.ह.नं.32	संरक्षित वन	1	24.00	1	9.713	<p>उत्तर—उत्तर प्रदेश की सीमा तथा छतहरी ग्राम की सीमा के खसरा क्र. 183, 182.</p> <p>पूर्व—रसोईया ग्राम की सीमा.</p> <p>दक्षिण—मुनारा क्र. 177/1 से 185/5 तक तथा खसरा नम्बर 24, 20 और 12 की सीमा.</p> <p>पश्चिम—छतहरी ग्राम की सीमा एवं खसरा नम्बर 123.</p>	
				2	26.10	2	10.563		
				3	29.00	3	11.736		
				4	0.20	4	0.081		
				5	18.00	5	7.284		
				6	23.50	6	9.510		
				7	11.90	7	4.816		
				8	20.00	8	8.094		
				9	0.72	9	0.291		
				10	15.10	10	6.110		
				11 भाग	6.31	11 भाग	2.554		
				12 भाग	0.18	12 भाग	0.073		
				13 भाग	3.42	13 भाग	1.384		
				20 भाग	8.49	20 भाग	3.436		
				21	32.30	21	13.072		
				22	43.80	22	17.726		
				23	2.08	23	0.842		
				24 भाग	9.85	24 भाग	3.986		
				53 भाग	0.50	53 भाग	0.202		
				योग . .	275.45		111.473		
7	अमुआ	रसोईया प.ह.नं. 49	संरक्षित वन	1	191.50	1	77.499		<p>उत्तर—उत्तर प्रदेश की सीमा.</p> <p>पूर्व—ग्राम कुलकडिया की सीमा तथा खसरा नम्बर एक.</p> <p>दक्षिण—ग्राम झुलना, पचौहा की सीमा एवं चमरौहा नाला.</p> <p>पश्चिम—ग्राम महापार की सीमा तथा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 170/1 से 177/1 तक.</p> <p>द-(आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 65/2, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/2, 81/2 एवं 82/2 का कुल रकबा 15.750 हे. को छोड़कर).</p> <p>उत्तर—कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/1 से द/15 एवं द/15 से द/13 तक.</p> <p>पूर्व—कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/13 से द/5 तक कृत्रिम वन सीमा.</p> <p>दक्षिण—कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/5 से द/2 तक कृत्रिम वन सीमा.</p>
				2	400.50	2	162.080		
				3	180.00	3	72.845		
				4	0.68	4	0.275		
				5	2.90	5	1.174		
				6	0.16	6	0.065		
				7	19.40	7	7.851		
				8 भाग	280.98	8 भाग	113.711		
				9	0.20	9	0.081		
				10	0.24	10	0.097		
				11	4.35	11	1.760		
				12	3.08	12	1.246		
				13	1.00	13	0.405		
				14	1.09	14	0.441		
				15	0.18	15	0.73		
				16	3.19	16	1.291		
				17	0.28	17	0.113		
				18	1.33	18	0.538		
				19	0.37	19	0.150		
				20	1.51	20	0.611		
				21	5.80	21	2.347		
				22	1.02	22	0.413		
				23	3.27	23	1.323		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				24	0.07	24	0.028	पश्चिम—कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. द/2 से 1 तक एवं अमुआ से मानिकपुर मार्ग.
				25	0.04	25	0.016	
				26	1.62	26	0.656	
				27	0.33	27	0.134	
				28	3.96	28	1.602	
				29	1.42	29	0.575	
				30	0.13	30	0.053	
				31	10.00	31	4.047	
				32	1.03	32	0.417	
				33	118.82	33	48.086	
				34	38.68	34	15.654	
				35	0.17	35	0.069	
				36	10.00	36	4.047	
				37	0.53	37	0.214	
				38	3.25	38	1.315	
				39	276.14	39	111.752	
				40	3.18	40	1.287	
				41	3.18	41	1.287	
				42	52.50	42	21.246	
				43	10.15	43	4.108	
				44	2.83	44	1.145	
				45	0.05	45	0.020	
				46	0.89	46	0.360	
				47	0.12	47	0.049	
				48	1.36	48	0.550	
				49	0.07	49	0.028	
				50	2.09	50	0.846	
				51	1.97	51	0.797	
				52	0.83	52	0.336	
				53	0.37	53	0.150	
				54	0.90	54	0.364	
				55	1.67	55	0.676	
				56	0.07	56	0.028	
				57	10.27	57	4.156	
				58	1.07	58	0.434	
				59	4.78	59	1.934	
				60	620.22	60	251.000	
				61	719.00	61	290.975	
				62	315.90	62	127.842	
				63	58.50	63	23.675	
				64	6.77	64	2.740	
				65 भाग	64.80	65 भाग	26.224	
				66	58.00	66	23.472	
				67	58.00	67	23.472	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				68	0.64	68	0.259	
				69	2.05	69	0.829	
				70	5.90	70	2.387	
				79 भाग	195.50	79 भाग	79.117	
				80	14.00	80	5.666	
				81 भाग	26.50	81 भाग	10.724	
				82 भाग	400.00	82 भाग	161.878	
				83	270.80	83	109.591	
				84	139.50	84	56.455	
				85	108.50	85	43.909	
				86	186.80	86	75.597	
				87	29.40	87	11.898	
				88	0.50	88	0.202	
				89	0.60	89	0.243	
				90	4.02	90	1.627	
				<b>योग . .</b>	<u>4953.46</u>		<u>2004.638</u>	
8	अमुआ	पचौंहा	संरक्षित	1	1.70	1	0.688	उत्तर—ग्राम रसोईया की सीमा.
		प.ह.नं. 49	वन	2	38.50	2	15.581	पूर्व—ग्राम अधराखोह की सीमा.
				3	42.50	3	17.199	दक्षिण—ग्राम अमुआ की सीमा.
				4	21.70	4	8.782	पश्चिम—ग्राम अमुआ की सीमा.
				5	0.60	5	0.243	
				6	2.33	6	0.943	
				7	0.14	7	0.057	
				8	0.74	8	0.299	
				9	1.80	9	0.728	
				10	92.17	10	37.300	
				11	6.53	11	2.643	
				12	1.77	12	0.716	
				13	14.60	13	5.909	
				14	0.46	14	0.186	
				15	0.58	15	0.235	
				16	21.02	16	8.507	
				17	13.28	17	5.374	
				18	0.63	18	0.255	
				19	6.20	19	2.509	
				20	0.24	20	0.097	
				21	10.50	21	4.249	
				22	90.00	22	36.422	
				23	4.70	23	1.902	
				24	0.42	24	0.170	
				<b>योग . .</b>	<u>373.11</u>		<u>150.995</u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	अमुआ	छापर प.ह.नं. 51	संरक्षित वन	1	22.15	1	8.964	उत्तर—उत्तर प्रदेश की सीमा.
				2	39.00	2	15.783	पूर्व—ग्राम कुलकडिया की सीमा
				3	20.80	3	8.418	दक्षिण—ग्राम कुलकडिया की सीमा
				4	0.60	4	0.243	पश्चिम—ग्राम कुलकडिया की
				5	5.98	5	2.420	सीमा.
				6	18.75	6	7.588	
				7	11.28	7	4.565	
				8	1.62	8	0.656	
				9	0.04	9	0.016	
				10	0.30	10	0.121	
				11	0.80	11	0.324	
				12	0.09	12	0.036	
				13	6.85	13	2.772	
				14	0.84	14	0.340	
				15	0.14	15	0.057	
				16	1.20	16	0.486	
				17	0.05	17	0.020	
				18	6.19	18	2.505	
				19	0.21	19	0.085	
				20	1.53	20	0.619	
				21	0.52	21	0.210	
				22	3.53	22	1.429	
				23	1.20	23	0.486	
				24	0.10	24	0.041	
				25	5.78	25	2.339	
				26	4.10	26	1.659	
				27	0.38	27	0.154	
				28	1.85	28	0.749	
				29	3.30	29	1.335	
				30	39.65	30	16.046	
				31	4.16	31	1.684	
				32	23.07	32	9.336	
				33	6.12	33	2.477	
				34	0.43	34	0.174	
				35	3.53	35	1.429	
				36	2.54	36	1.028	
				37	1.49	37	0.603	
				38	0.30	38	0.121	
				39	28.16	39	11.396	
				40	0.16	40	0.065	
				41	2.70	41	1.093	
				42	5.27	42	2.133	
				43	2.64	43	1.068	
				44	1.15	44	0.465	
				45	2.07	45	0.838	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				46	0.17	46	0.069	
				47	0.62	47	0.251	
				48	2.72	48	1.101	
				49	0.23	49	0.093	
				50	2.82	50	1.141	
				51	0.59	51	0.239	
				52	0.05	52	0.020	
				53	0.11	53	0.045	
				54	1.04	54	0.421	
				55	0.96	55	0.389	
				56	0.12	56	0.049	
				57	0.94	57	0.380	
				58	0.45	58	0.182	
				59	0.63	59	0.255	
				60	0.31	60	0.125	
				61	0.58	61	0.235	
				62	0.16	62	0.065	
				63	0.60	63	0.243	
				64	0.58	64	0.235	
				65	0.42	65	0.170	
				66	0.18	66	0.073	
				67	0.19	67	0.077	
				68	0.70	68	0.283	
				69	0.16	69	0.065	
				70	1.50	70	0.607	
				71	0.69	71	0.279	
				72	0.19	72	0.077	
				73	0.22	73	0.089	
				74	0.06	74	0.024	
				75	0.89	75	0.360	
				76	0.45	76	0.182	
				77	0.30	77	0.121	
				78	0.12	78	0.049	
				79	1.13	79	0.457	
				80	0.09	80	0.036	
				81	3.57	81	1.445	
				82	0.83	82	0.336	
				83	1.45	83	0.587	
				84	0.43	84	0.174	
				85	1.57	85	0.635	
				86	0.94	86	0.380	
				87	0.87	87	0.352	
				88	2.07	88	0.838	
				89	0.10	89	0.041	
				90	0.13	90	0.053	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				91	1.06	91	0.429	
				92	0.31	92	0.125	
				93	0.23	93	0.093	
				94	0.98	94	0.397	
				95	0.33	95	0.134	
				96	4.27	96	1.728	
				97	0.30	97	0.121	
				98	1.81	98	0.732	
				99	0.68	99	0.275	
				100	0.37	100	0.150	
				101	0.28	101	0.113	
				102	0.05	102	0.020	
				103	0.74	103	0.299	
				104	1.15	104	0.465	
				105	0.19	105	0.077	
				106	1.76	106	0.712	
				107	0.09	107	0.036	
				108	0.13	108	0.053	
				109	1.57	109	0.635	
				110	0.59	110	0.239	
				111	0.18	111	0.073	
				112	0.02	112	0.008	
				113	2.88	113	1.166	
				योग	335.52		135.783	
10	अमुआ	कुलकड़िया	संरक्षित	1	868.00	1	351.274	उत्तर—उत्तर प्रदेश की सीमा.
		प.ह.नं. 51	वन	2	935.95	2	378.774	पूर्व—उत्तरप्रदेश की सीमा एवं ग्राम
				3	168.15	3	68.049	ओरमानी, छापर की सीमा.
				4	60.80	4	24.605	दक्षिण—वनखण्ड के मुनारा क्रमांक
				5	0.60	5	0.243	11/1 से 28/18 तक तथा
				6	4.35	6	1.760	ग्राम पोती, प्रतापपुर की ग्राम
				7	58.30	7	23.593	सीमा.
				8	183.00	8	74.059	पश्चिम—ग्राम बटेहरा, झुलना,
				9	0.09	9	0.036	रसोइया की ग्राम सीमा
				10	2.85	10	1.153	वनखण्ड के मुनारा क्र. 64/
				11	110.00	111	44.516	10 से 70/1 तक.
				12	6.60	12	2.671	
				13	0.23	13	0.093	
				14	20.25	14	8.195	
				15	16.20	15	6.556	
				16	25.60	16	10.360	
				17	1.12	17	0.453	
				18	0.27	18	0.109	
				19	0.05	19	0.020	
				20	1.39	20	0.562	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				21	42.20	21	17.078	
				22 भाग	45.55	22 भाग	18.433	
				23	4.39	23	1.776	
				24	2.90	24	1.173	
				25	0.34	25	0.137	
				26	9.52	26	3.852	
				27	0.12	27	0.048	
				28	0.20	28	0.080	
				29	1.92	29	0.777	
				30	0.11	30	0.044	
				31	3.35	31	1.355	
				32	1.15	32	0.465	
				33	0.50	33	0.202	
				34	0.03	34	0.012	
				35	6.26	35	2.533	
				36	0.94	36	0.380	
				37	0.15	37	0.060	
				38	1.41	38	0.570	
				39	0.45	39	0.182	
				40	1.11	40	0.449	
				41	0.12	41	0.048	
				42	2.12	42	0.857	
				43	0.11	43	0.044	
				<u>44</u>	<u>0.09</u>	<u>44</u>	<u>0.036</u>	
				<u>45</u>	<u>0.71</u>	<u>45</u>	<u>0.287</u>	
				46	0.07	46	0.028	
				47	0.49	47	0.198	
				48	0.06	48	0.024	
				49	0.09	49	0.036	
				50	1.25	50	0.506	
				51	1.32	51	0.534	
				52	0.03	52	0.012	
				53	3.97	53	1.607	
				54	0.67	54	0.271	
				55	0.04	55	0.016	
				56	0.86	56	0.348	
				57	1.26	57	0.510	
				58	0.42	58	0.170	
				59	5.50	59	2.226	
				60	1.05	60	0.425	
				61	12.78	61	5.172	
				62	1.03	62	0.417	
				63	1.56	63	0.631	
				64	1.22	64	0.493	
				65	0.02	65	0.008	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				66	1.35	66	0.546	
				67	1.15	67	0.465	
				68	0.21	68	0.085	
				69	0.04	69	0.016	
				70	0.55	70	0.222	
				71	0.02	71	0.008	
				72	4.14	72	1.675	
				73	2.27	73	0.918	
				74	1.18	74	0.477	
				75	1.96	75	0.793	
				76	5.34	76	2.161	
				77	0.62	77	0.250	
				78	0.44	78	0.178	
				79	4.37	79	1.768	
				80	0.17	80	0.068	
				81	63.70	81	25.779	
				82	2.42	82	0.979	
				83	1.10	83	0.445	
				84	3.77	84	1.525	
				85	0.13	85	0.052	
				86	0.95	86	0.384	
				87	0.02	87	0.008	
				88	0.02	88	0.008	
				89	0.75	89	0.303	
				90	0.50	90	0.202	
				91	1.78	91	0.720	
				92	0.08	92	0.032	
				93	2.79	93	1.129	
				94	0.85	94	0.344	
				95	13.00	95	5.261	
				96	2.07	96	0.837	
				97	24.44	97	9.890	
				98	201.70	98	81.627	
				99	3.55	99	1.436	
				100	1.36	100	0.550	
				101	9.85	101	3.986	
				102	117.85	102	47.693	
				103	30.50	103	12.343	
				104	10.00	104	4.047	
				105	6.50	105	2.630	
				106 भाग	13.45	106 भाग	5.443	
				107 भाग	0.15	107 भाग	0.060	
				119 भाग	5.79	119 भाग	2.343	
				135 भाग	3.75	135 भाग	1.517	
				136	25.70	136	10.400	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				137 भाग	17.58	137 भाग	7.114	
				138 भाग	0.25	138 भाग	0.101	
				157 भाग	0.10	157 भाग	0.040	
				159 भाग	1.06	159 भाग	0.429	
				161 भाग	4.00	161 भाग	1.619	
				174 भाग	0.12	174 भाग	0.048	
				179 भाग	0.15	179 भाग	0.060	
				182 भाग	26.28	182 भाग	10.635	
				183	1.40	183	0.566	
				184	3.16	184	1.279	
				185	0.59	185	0.238	
				186	0.40	186	0.161	
				187	1.30	187	0.526	
				188	0.74	188	0.299	
				189	1.40	189	0.566	
				190	0.75	190	0.303	
				191	1.03	191	0.417	
				192	0.30	192	0.121	
				193	2.85	193	1.153	
				194	1.27	194	0.514	
				195	8.62	195	3.488	
				196	40.00	196	16.187	
				197	0.98	197	0.396	
				198	0.52	198	0.210	
				199	0.83	199	0.336	
				200	1.10	200	0.445	
				201	0.30	201	0.121	
				202	1.48	202	0.599	
				203	0.10	203	0.040	
				204	1.22	204	0.493	
				205	0.40	205	0.161	
				206	56.30	206	22.784	
				207	2.70	207	1.092	
				208	2.25	208	0.910	
				209	13.90	209	5.625	
				210 भाग	4.40	210 भाग	1.780	
				211	0.79	211	0.319	
				212	3.12	212	1.262	
				213 भाग	0.79	213 भाग	0.319	
				216 भाग	6.23	216 भाग	2.521	
				217 भाग	3.16	217 भाग	1.278	
				218	0.16	218	0.064	
				219	1.47	219	0.595	
				220 भाग	4.14	220 भाग	1.675	
				222 भाग	0.60	222 भाग	0.243	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				241 भाग	0.20	241 भाग	0.081	
				242	187.70	242	75.961	
				योग . .	<u>3603.76</u>		<u>1458.422</u>	
11	अमुआ	बटहरा प.ह.नं. 51	संरक्षित वन	1	2.70	1	1.093	अ—
				2	47.50	2	19.223	उत्तर—ग्राम कुलकडिया की सीमा.
				3	0.30	3	0.121	पूर्व—ग्राम कुलकडिया की सीमा
				4	37.50	4	15.176	दक्षिण—वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 70/1 से 78/9 तक एवं ग्राम प्रतापपुर कुलकडिया की सीमा.
				5 भाग	0.60	5 भाग	0.243	
				6	0.08	6	0.032	
				7 भाग	41.80	7 भाग	16.916	पश्चिम—ग्राम कुलकडिया की सीमा.
				8 भाग	2.86	8 भाग	1.157	
				11 भाग	19.50	11 भाग	7.892	
				17 भाग	1.52	17 भाग	0.615	
				19 भाग	6.55	19 भाग	2.651	ब—
				20 भाग	2.51	20 भाग	1.015	उत्तर—वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 59/5 से 64/10.
				21 भाग	32.32	21 भाग	13.080	पूर्व—ग्राम कुलकडिया की सीमा
				28 भाग	0.50	28 भाग	0.202	दक्षिण—ग्राम प्रतापपुर व कडरोही की सीमा.
				36 भाग	3.35	36 भाग	1.356	पश्चिम—वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 55/1 से 59/5.
				49 भाग	2.71	49 भाग	1.097	
				50 भाग	6.77	50 भाग	2.739	
				51	0.93	51	0.376	
				52	0.25	52	0.101	
				53	5.30	53	2.145	
				योग . .	<u>215.94</u>		<u>87.389</u>	
12	अमुआ	झुलना प.ह.नं. 49	संरक्षित वन	1	0.40	1	0.162	अ—
				2	0.30	2	0.121	उत्तर—ग्राम रसोईया, कुलकडिया की सीमा.
				3	13.60	3	5.504	पूर्व—ग्राम कुलकडिया की सीमा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 79/1 से 90/12 तक.
				4	13.70	4	5.544	दक्षिण— मुनारा क्रमांक 90/12 से 95/17 तक एवं ग्राम मौहरिया की सीमा.
				5	0.16	5	0.065	पश्चिम—मुनारा क्रमांक 108 तक एवं ग्राम अधराखोह तथा बिजहरी की सीमा.
				6 भाग	148.35	6 भाग	60.036	ब—
				7	54.40	7	22.015	उत्तर—वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 50/5 से 52/1.
				8	0.54	8	0.219	पूर्व—ग्राम कडरोही की सीमा
				9	78.00	9	31.566	दक्षिण—वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 46/1 ले 47/2.
				10	12.20	10	4.937	
				11	0.16	11	0.065	
				12	1.07	12	0.433	
				13	0.40	13	0.162	
				14	23.10	14	9.348	
				15	0.10	15	0.040	
				16	5.65	16	2.287	
				17 भाग	0.20	17 भाग	0.081	
				20 भाग	0.14	20 भाग	0.057	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				70 भाग	19.55	70 भाग	7.912	पश्चिम—वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47/2 से 50/5.
				75 भाग	0.95	75 भाग	0.384	
				79 भाग	0.35	79 भाग	0.142	
				83 भाग	0.18	83 भाग	0.073	
				105 भाग	5.60	105 भाग	2.266	
				108 भाग	5.42	108 भाग	2.193	
				109 भाग	2.42	109 भाग	0.979	
				110	31.60	110	12.789	
				111	7.10	111	2.873	
				112	0.80	112	0.324	
				113	0.66	113	0.267	
				114	0.40	114	0.162	
				115	4.52	115	1.829	
				116	5.52	116	2.235	
				117 भाग	10.00	117 भाग	4.047	
				121 भाग	4.46	121 भाग	1.805	
				151 भाग	27.07	151 भाग	10.955	
				योग . .	479.07		193.877	
13	अमुआ	ओरमानी	संरक्षित	1	0.35	1	0.142	उत्तर—उत्तर प्रदेश की सीमा तथा ग्राम कुलकडिया की सीमा. पूर्व—उत्तर प्रदेश की सीमा दक्षिण—वनखण्ड के मुनारा क्र. 1/1 से 10/10 तक. पश्चिम—ग्राम कुलकडिया की सीमा. अ—(आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 52/2 व 61/2 का अंश भाग कुल रकबा 0.890 हे. को छोड़कर). उत्तर—कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/4 से ए/3 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व—कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/3 से ए/2 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण—कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/2 से ए/1 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम—कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. ए/1 से वनखण्ड के मुनारा क्र. 8/8 तक एवं कृत्रिम रेखा
		प.ह.नं. 51	वन	2	50.45	2	20.417	
				4	3.32	4	1.344	
				5	1.57	5	0.635	
				6	27.42	6	11.096	
				7	1.95	7	0.789	
				8	2.76	8	1.117	
				9	4.16	9	1.684	
				10	1.54	10	0.623	
				11	71.84	11	29.073	
				12	45.38	12	18.365	
				13	0.37	13	0.150	
				14	1.95	14	0.789	
				15	9.58	15	3.877	
				16	0.75	16	0.304	
				17	7.25	17	2.934	
				18	30.40	18	12.303	
				19	0.40	19	0.162	
				20	0.03	20	0.012	
				21	5.60	21	2.266	
				22	6.36	22	2.574	
				23	2.25	23	0.911	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				24	0.90	24	0.364	मुनारा क्र. ए/4 से वनखण्ड
				25	3.69	25	1.493	मुनारा क्रमांक 9/9 तक.
				26	57.59	26	23.306	ब—(आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक
				27	9.40	27	3.804	77 का कुल रकबा 1.477 हे. को
				28	0.37	28	0.150	छोड़कर).
				29	1.70	29	0.688	उत्तर—कृत्रिम रेखा मुनारा
				30	0.06	30	0.024	क्र. ब/8 से ब/6 तक.
				31	1.15	31	0.465	पूर्व—कृत्रिम रेखा मुनारा
				32	0.27	32	0.109	क्र. ब/6 से ब/4 तक कृत्रिम
				33	1.76	33	0.712	वन सीमा.
				34	0.08	34	0.032	दक्षिण—कृत्रिम रेखा मुनारा
				35	0.29	35	0.117	क्र. ब/4 से ब/2 तक
				36	1.78	36	0.720	कृत्रिम वन सीमा.
				37	0.15	37	0.061	पश्चिम—कृत्रिम रेखा मुनारा
				38	1.26	38	0.510	क्र. ब/2 से ब/1 व ब/1 से
				39	0.40	39	0.162	ब/8 तक कृत्रिम वन सीमा.
				40	0.55	40	0.223	—(आंतरिक पैंच खसरा क्रमांक 3
				41	3.36	41	1.360	का कुल रकबा 3.169 हे. को
				42	0.06	42	0.024	छोड़कर).
				43	2.45	43	0.992	उत्तर—कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. स/4
				44	1.70	44	0.688	से स/3 तक.
				45	0.16	45	0.065	पूर्व—कृत्रिम रेखा मुनारा क्र. स/3
				46	4.22	46	1.709	से स/2 तक कृत्रिम वन सीमा.
				47	0.02	47	0.008	दक्षिण—कृत्रिम रेखा मुनारा
				48	0.13	48	0.053	क्र. स/2 से स/1 तक कृत्रिम
				51 भाग	0.15	51 भाग	0.061	वन सीमा.
				52 भाग	10.00	52 भाग	4.047	पश्चिम—कृत्रिम रेखा मुनारा
				61 भाग	2.60	61 भाग	1.052	क्र. स/1 से स/4 तक कृत्रिम
				70	1.97	70	0.798	वन सीमा.
				71	1.64	71	0.664	
				72	0.50	72	0.202	
				73	1.10	73	0.446	
				74	0.16	74	0.065	
				75	0.13	75	0.053	
				76	0.10	76	0.040	
				78	0.16	78	0.065	
				79	12.24	79	4.954	
				82 भाग	12.50	82 भाग	5.059	
				योग . .	412.43		166.908	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	अमुआ	पांती प.ह.नं. 51	संरक्षित वन	14 भाग 15 भाग 16 भाग योग . .	0.20 0.25 1.07 1.52	14 भाग 15 भाग 16 भाग	0.081 0.101 0.433 0.615	उत्तर—ग्राम कुलकडिया की सीमा तथा नाला. पूर्व—ओरमानी ग्राम की सीमा दक्षिण—वनखण्ड मुनारा क्र. 10/10 से 11/1 तक. पश्चिम—ग्राम कुलकडिया की सीमा तथा नाला.
15	अमुआ	प्रतापपुर प.ह.नं. 51	संरक्षित वन	1 2 भाग 4 भाग 5 भाग 111 भाग 163 भाग योग . .	36.30 0.13 2.05 3.10 0.30 81.19 123.07	1 2 भाग 4 भाग 5 भाग 111 भाग 163 भाग	14.690 0.053 0.830 1.254 0.121 32.857 49.805	उत्तर—नाला एवं ग्राम कुलकडिया की सीमा. पूर्व—मुनारा 28/18 से 34/6 तक दक्षिण—मुनारा क्र. 34/6 से 40/12 तक. पश्चिम—मुनारा क्रमांक 40/12 एवं कड़रोही की सीमा.
16	अमुआ	कड़रोही प.ह.नं. 51	संरक्षित वन	11 भाग 12 13 14 15 16 भाग 17 भाग 52 भाग योग . .	18.15 0.26 8.37 9.92 0.29 44.60 0.50 0.30 82.39	11 भाग 12 13 14 15 16 भाग 17 भाग 52 भाग	7.345 0.105 3.387 4.015 0.117 18.049 0.202 0.122 33.342	उत्तर—वनखण्ड का मुनारा क्र. 52/1 से 54/3 तक. पूर्व—ग्राम बटेहरा की सीमा. दक्षिण—ग्राम कुलकडिया की सीमा तथा वनखण्ड के मुनारा क्र. 40/12 से 43/3 तक पश्चिम—वनखण्ड के मुनारा क्र. 43/3 से 45/5 तक एवं ग्राम झुलना की सीमा.
17	अमुआ	बरौं प.ह.नं. 50	संरक्षित वन	14 भाग 16 भाग योग . .	1.12 0.08 1.20	14 भाग 16 भाग	0.453 0.032 0.485	उत्तर—ग्राम मौहरिया की सीमा पूर्व—खसरा नम्बर 14 एवं 16 एवं मुनारा क्र. 96/1 से 97/2 दक्षिण—ग्राम मौहरिया की सीमा पश्चिम—ग्राम मौहरिया की सीमा
18	अमुआ	मौहरिया प.ह.नं. 50	संरक्षित वन	1 2 3 4 5 भाग 6 भाग	0.07 0.37 15.93 0.56 0.10 0.27	1 2 3 4 5 भाग 6 भाग	0.028 0.150 6.446 0.227 0.041 0.109	उत्तर—ग्राम झुलना की सीमा तथा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 107/10 से 108/11 तक. पूर्व—वनखण्ड के मुनारा क्र. 95/17 से 98/1 तक एवं ग्राम बरौं की सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				7 भाग	5.96	7 भाग	2.412	दक्षिण—वनखण्ड के मुनारा क्र. 98/1 से 101/4 तक. पश्चिम—वनखण्ड के मुनारा क्र. 101/4 से 107/10 तक एवं ग्राम बिजहरी की सीमा.
				39 भाग	4.09	39 भाग	1.655	
				40 भाग	42.15	40 भाग	17.058	
				41 भाग	1.30	41 भाग	0.526	
				76 भाग	0.80	76 भाग	0.324	
				योग . .	<u>71.60</u>		<u>28.976</u>	
19	अमुआ	बिजहरी	संरक्षित	1	21.00	1	8.499	उत्तर—ग्राम अधराखोह की सीमा
		प.ह.नं. 49	वन	2	0.70	2	0.283	पूर्व—नाला एवं ग्राम झुलना की सीमा.
				3 भाग	1.25	3 भाग	0.506	
				16 भाग	2.50	16 भाग	1.012	दक्षिण—मुनारा क्र. 108/1 से 111/4 तक.
				17 भाग	1.67	17 भाग	0.676	
				54 भाग	1.60	54 भाग	0.647	पश्चिम—अमुआ ग्राम की सीमा.
				55 भाग	2.60	55 भाग	1.052	
				योग . .	<u>31.32</u>		<u>12.675</u>	
20	अमुआ	कुशियरा	संरक्षित	1 भाग	4.14	1 भाग	1.675	उत्तर—अमुआ, बिजहरी ग्राम की सीमा एवं मुनारा क्र. 137/1.
		प.ह.नं. 49	वन	2 भाग	21.00	2 भाग	8.499	पूर्व—मुनारा क्र. 126/4 से 128/2 तक.
				योग . .	<u>25.14</u>		<u>10.174</u>	दक्षिण—मुनारा क्र. 128/2 से 130/4 तक.
								पश्चिम—ग्राम भटहा की सीमा.
21	अमुआ	भटहा	संरक्षित	9 भाग	18.80	9 भाग	7.608	उत्तर—वनखण्ड के मुनारा क्र. 135/5 से 136/6 तक.
		प.ह.नं. 48	वन					पूर्व—ग्राम कुशियरा की सीमा
				योग . .	<u>18.80</u>		<u>7.608</u>	दक्षिण—वनखण्ड के मुनारा क्र. 130/4 से 132/2 तक.
				महायोग . .	<u>12794.96</u>		<u>5178.045</u>	पश्चिम—वनखण्ड के मुनारा क्र. 132/2 से 135/5 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्रमांक एफ-25-43-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-43-2010-दस-3, दिनांक 27 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. शर्मा, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2010

No. F-25-43-2010-X-3.—WHEREAS, by this department notification No. 3925-1335-10 dated 2nd May 1967 published in the Madhya Pradesh Gazette Part I, dated 12th January 1968, the State Government had under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), declared its intention to constitute the land specified in the Schedule below as reserved forest,

AND, WHEREAS, all claims relating to the same have been disposed off by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

## SCHEDULE

## District—Satna, Division—Satna (Territorial), Tehsil—Majhgawan, Range—Majhgawan

S. No.	Name of Forest			Area				Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present Category of Land	Old Khasra No.	Area in Acre	New Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Amuaa	Amuaa Patwari halka 49	Protected Forest	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 part 13 part 19 part 21 part 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	4.00 1.25 1.60 70.00 0.08 30.00 0.39 60.00 62.20 42.00 0.38 32.45 0.07 24.55 19.25 1.55 4.00 0.82 0.40 0.16 1.18 0.23 2.70 1.15 0.80 2.80 3.75 0.25 12.80 0.81	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 part 13 part 19 part 21 part 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	1.619 0.506 0.648 28.329 0.032 12.141 0.158 24.282 25.172 16.997 0.154 13.132 0.028 9.935 7.790 0.627 1.619 0.332 0.162 0.065 0.478 0.093 1.093 0.465 0.324 1.133 1.518 0.101 5.180 0.328	North—Boundary of village Rasoiya Khasra No. 6, 10 and Chamrauha Nala. East—Boundary of village Pachauha, Andrakroh, Bijahri and Forest Block Pillar No. 111/4 to 199/12. South—Forest Block Pillar Number 119/12 to 124/5 and Boundary of village Kusiyara, Bhatha. West—Boundary of village Amua and Forest Block Pillar Number 138/1 to 161/24.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				37	5.30	37	2.145	
				38	5.85	38	2.368	
				39	0.30	39	0.122	
				40	2.49	40	1.008	
				41	1.55	41	0.627	
				42	1.06	42	0.429	
				43	1.10	43	0.445	
				44	0.45	44	0.182	
				45	1.90	45	0.769	
				46	3.21	46	1.299	
				47	0.48	47	0.194	
				48	2.80	48	1.133	
				49	2.50	49	1.012	
				50	0.50	50	0.202	
				51	1.09	51	0.441	
				52	0.45	52	0.182	
				53	8.25	53	3.339	
				54	0.10	54	0.040	
				55	4.30	55	1.740	
				56	0.42	56	0.170	
				57 part	0.50	57 part	0.202	
				59 part	0.35	59 part	0.142	
				60 part	0.10	60 part	0.040	
				62 part	0.20	62 part	0.081	
				63	0.58	63	0.235	
				64	1.90	64	0.769	
				65 part	0.40	65 part	0.162	
				81 part	15.40	81 part	6.232	
				82 part	0.25	82 part	0.101	
				113 part	0.10	113 part	0.040	
				116 part	0.67	116 part	0.271	
				127 part	0.96	127 part	0.389	
				128 part	0.65	128 part	0.263	
				130 part	0.25	130 part	0.101	
				380 part	0.07	380 part	0.028	
				382 part	314.00	382 part	127.074	
				383	0.50	383	0.202	
				384	50.50	384	20.437	
				385	1.25	385	0.506	
				386 part	108.50	386 part	43.909	
<b>Total</b>					<b>922.85</b>		<b>373.472</b>	

2	Amuaa	Maha-par	Protected	1 part	6.81	1 part	2.756
		Patwari	Forest	7 part	1.75	7 part	0.708
		halka 32		8	0.02	8	0.008
				9	0.26	9	0.105
				10	0.89	10	0.360
				11	0.42	11	0.170
				12	5.68	12	2.299
				13 part	1.70	13 part	0.688

**North**—Boundary of village Rasoiya Khasra No. 26, 34, 33, 31, 30, 28, 16, 12 and Nala.

**East**—Boundary of village Rasoiya, Amuaa and Forest Block Pillar No. 161/24.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				27 part	1.80	27 part	0.729	<b>South</b> —Forest Block Pillar Number 161/24 to 165/4. <b>West</b> —Forest Block Pillar Number 165/4 to 170/1 and Boundary of village Piprahai.
				28	29.87	28	12.088	
				29	0.53	29	0.215	
				30	2.52	30	1.020	
				31	0.51	31	0.206	
				32	6.80	32	2.752	
				33 part	7.51	33 part	3.039	
				34	7.55	34	3.056	
				35	0.23	35	0.093	
				36	2.66	36	1.076	
				37	4.91	37	1.987	
				38 part	5.10	38 part	2.064	
				39 part	0.08	39 part	0.032	
			<b>Total :</b>		<b>87.60</b>		<b>35.451</b>	
3	Amuaa	Beerpur Patwari halka 32	Protected Forest	1 part 15 part 16 part	24.15 0.25 0.75	1 part 15 part 16 part	9.773 0.101 0.304	<b>North</b> —Boundary of village Chatahri and Khasra No. 26. <b>East</b> —Forest Block Pillar No. 196/1 to 198/3. <b>South</b> —Forest Block Pillar Number 198/3 to 201/6. <b>West</b> —Boundary of village Nadoor.
			<b>Total :</b>		<b>25.15</b>		<b>10.178</b>	
4	Amuaa	Nadoor Patwari halka 32.	Protected Forest	49 50 51 52 part 53 54	0.90 0.91 12.40 76.40 1.90 1.65	49 50 51 52 part 53 54	0.364 0.368 5.018 30.919 0.769 0.668	<b>North</b> —Boundary of village Chatahri. <b>East</b> —Boundary of village Chatahri. <b>South</b> —Forest Block Pillar Number 202/1 to 204/3 and boundary of village Veerpur. <b>West</b> —Forest Block Pillar Number 204/3 to 211 and boundary of Forest Block Sarvanga.
			<b>Total :</b>		<b>94.16</b>		<b>38.106</b>	
5	Amuaa	Chatahri. Patwari halka 32.	Protected Forest	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 part	16.37 23.70 22.16 25.44 15.00 23.50 31.50 33.50 1.00 12.50 22.50 22.69	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 part	6.625 9.591 8.968 10.295 6.070 9.510 12.748 13.557 0.405 5.059 9.106 9.183	<b>North</b> —Boundary of State Uttar Pradesh. <b>East</b> —Boundary of village Piprahai and Khasra No. 23 & Forest Block Pillar No. 181/1 to 196/1. <b>South</b> —Boundary of village Veerpur. <b>West</b> —Forest Block Pillar Number 202/1 and boundary of village Nadoor.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				13 part	0.60	13 part	0.243	
				14 part	0.78	14 part	0.316	
				23 part	10.90	23 part	4.411	
				24 part	16.50	24 part	6.678	
				25	5.05	25	2.044	
				26 part	27.99	26 part	11.327	
				27 part	1.44	27 part	0.583	
				58 part	0.40	58 part	0.162	
				120 part	1.47	120 part	0.595	
				122 part	1.49	122 part	0.603	
				123 part	24.35	123 part	9.854	
				124	14.26	124	5.771	
				125	2.60	125	1.052	
				126	2.60	126	1.052	
				127	2.22	127	0.898	
				128	2.43	128	0.983	
				129	0.53	129	0.214	
				130	0.54	130	0.219	
				131	7.10	131	2.873	
				132	2.56	132	1.036	
				133	2.62	133	1.060	
				134	0.04	134	0.016	
				135	0.95	135	0.385	
				136	3.16	136	1.279	
				137	2.07	137	0.838	
				138	0.53	138	0.214	
				139	1.68	139	0.680	
				140	2.55	140	1.032	
				141	7.00	141	2.833	
				142	0.40	142	0.162	
				143	5.80	143	2.347	
				144	0.36	144	0.146	
				145	6.63	145	2.683	
				146	0.34	146	0.138	
				147	1.05	147	0.425	
				148	9.00	148	3.642	
				149	3.80	149	1.538	
				150	0.66	150	0.267	
				151	2.35	151	0.951	
				152	2.50	152	1.012	
				153	1.17	153	0.473	
				154	5.80	154	2.347	
				155	0.70	155	0.283	
				156	0.55	156	0.223	
				157	2.00	157	0.809	
				158	1.43	158	0.579	
				159	2.81	159	1.137	
				160	0.36	160	0.146	
				161	0.70	161	0.283	
				162	3.39	162	1.372	
				163	1.03	163	0.417	
				164	3.20	164	1.295	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				165	0.25	165	0.101	
				166	0.10	166	0.040	
				167	0.48	167	0.194	
				168	0.93	168	0.376	
				169	0.75	169	0.304	
				170	0.08	170	0.032	
				171	0.45	171	0.182	
				172	2.33	172	0.943	
				173	22.50	173	9.106	
				174	1.05	174	0.425	
				175	1.20	175	0.486	
				176	0.50	176	0.202	
				177	9.50	177	3.845	
				178	22.00	178	8.903	
				179	29.00	179	11.736	
				180	22.50	180	9.106	
				181	31.00	181	12.546	
				182	31.50	182	12.748	
				183	31.50	183	12.748	
				184	1.50	184	0.607	
			<b>Total :</b>		<b>661.42</b>		<b>267.673</b>	
6	Amuaa	Piparhai Patwari halka 32.	Protected Forest	1	24.00	1	9.713	<b>North</b> —Boundary of State Uttar Pradesh and boundary of village Chatahri Khasra No. 182,183.
				2	26.10	2	10.563	
				3	29.00	3	11.736	<b>East</b> —Boundary of village Rasoiya.
				4	0.20	4	0.081	
				5	18.00	5	7.284	
				6	23.50	6	9.510	
				7	11.90	7	4.816	
				8	20.00	8	8.094	<b>South</b> —Forest Block
				9	0.72	9	0.291	Pillar Number 177/1 to
				10	15.10	10	6.110	185/5 and boundary of
				11 part	6.31	11 part	2.554	Khasra No. 24,20 & 12.
				12 part	0.18	12 part	0.073	<b>West</b> —Boundary of village
				13 part	3.42	13 part	1.384	Chatahri and Khasra
				20 part	8.49	20 part	3.436	No. 123.
				21	32.30	21	13.072	
				22	43.80	22	17.726	
				23	2.08	23	0.842	
				24 part	9.85	24 part	3.986	
				53 part	0.50	53 part	0.202	
			<b>Total :</b>		<b>275.45</b>		<b>111.473</b>	
7	Amuaa	Rasoiya Patwari halka 49.	Protected Forest	1	191.50	1	77.499	<b>North</b> —Boundary of State Uttar Pradesh.
				2	400.50	2	162.080	
				3	180.00	3	72.845	<b>East</b> —Boundary of village
				4	0.68	4	0.275	Kulkadiya and Khasra
				5	2.90	5	1.174	No.1.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				6	0.16	6	0.065	<b>South</b> —Boundary of village Jhulna,
				7	19.40	7	7.851	
				8 part	280.98	8 part	113.711	Pachauha and
				9	0.20	9	0.081	Chamrauhn Nala.
				10	0.24	10	0.097	<b>West</b> —Boundary of village
				11	4.35	11	1.760	Mahapar and Forest
				12	3.08	12	1.246	Block Pillar No. 170/1
				13	1.00	13	0.405	to 177/1.
				14	1.09	14	0.441	(Excluding internal Patch
				15	0.18	15	0.73	Khasra Number 65/2, 71,
				16	3.19	16	1.291	72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
				17	0.28	17	0.113	79/2, 81/2 and 82/2 Area
				18	1.33	18	0.538	15.750 Ha.)
				19	0.37	19	0.150	<b>North</b> —Artificial line
				20	1.51	20	0.611	from pillar No. D/1 to
				21	5.80	21	2.347	D/15 & D/15 to D/13.
				22	1.02	22	0.413	<b>East</b> —Artificial line from
				23	3.27	23	1.323	pillar No. D/13 to D/5.
				24	0.07	24	0.028	<b>South</b> —Artificial line
				25	0.04	25	0.016	from pillar No. D/5 to
				26	1.62	26	0.656	D/2.
				27	0.33	27	0.134	<b>West</b> —Artificial line from
				28	3.96	28	1.602	Pillar No. D/2 to D/1 &
				29	1.42	29	0.575	Road Amua to
				30	0.13	30	0.053	Manikpur.
				31	10.00	31	4.047	
				32	1.03	32	0.417	
				33	118.82	33	48.086	
				34	38.68	34	15.654	
				35	0.17	35	0.069	
				36	10.00	36	4.047	
				37	0.53	37	0.214	
				38	3.25	38	1.315	
				39	276.14	39	111.752	
				40	3.18	40	1.287	
				41	3.18	41	1.287	
				42	52.50	42	21.246	
				43	10.15	43	4.108	
				44	2.83	44	1.145	
				45	0.05	45	0.020	
				46	0.89	46	0.360	
				47	0.12	47	0.049	
				48	1.36	48	0.550	
				49	0.07	49	0.028	
				50	2.09	50	0.846	
				51	1.97	51	0.797	
				52	0.83	52	0.336	
				53	0.37	53	0.150	
				54	0.90	54	0.364	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				55	1.67	55	0.676	
				56	0.07	56	0.028	
				57	10.27	57	4.156	
				58	1.07	58	0.434	
				59	4.78	59	1.934	
				60	620.22	60	251.000	
				61	719.00	61	290.975	
				62	315.90	62	127.842	
				63	58.50	63	23.675	
				64	6.77	64	2.740	
				65 part	64.80	65 part	26.224	
				66	58.00	66	23.472	
				67	58.00	67	23.472	
				68	0.64	68	0.259	
				69	2.05	69	0.829	
				70	5.90	70	2.387	
				79 part	195.50	79 part	79.117	
				80	14.00	80	5.666	
				81 part	26.50	81 part	10.724	
				82 part	400.00	82 part	161.878	
				83	270.80	83	109.591	
				84	139.50	84	56.455	
				85	108.50	85	43.909	
				86	186.80	86	75.597	
				87	29.40	87	11.898	
				88	0.50	88	0.202	
				89	0.60	89	0.243	
				90	4.02	90	1.627	
			Total :		4953.46		2004.638	
8	Amuaa	Pachauha	Protected	1	1.70	1	0.688	<b>North</b> —Boundary of village Rasoiya. <b>East</b> —Boundary of village Andhra Khoh. <b>South</b> —Boundary of village Amuaa. <b>West</b> —Boundary of village Amuaa.
		Patwari	Forest	2	38.50	2	15.581	
		halka 49.		3	42.50	3	17.199	
				4	21.70	4	8.782	
				5	0.60	5	0.243	
				6	2.33	6	0.943	
				7	0.14	7	0.057	
				8	0.74	8	0.299	
				9	1.80	9	0.728	
				10	92.17	10	37.300	
				11	6.53	11	2.643	
				12	1.77	12	0.716	
				13	14.60	13	5.909	
				14	0.46	14	0.186	
				15	0.58	15	0.235	
				16	21.02	16	8.507	
				17	13.28	17	5.374	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				18	0.63	18	0.255	
				19	6.20	19	2.509	
				20	0.24	20	0.097	
				21	10.50	21	4.249	
				22	90.00	22	36.422	
				23	4.70	23	1.902	
				24	0.42	24	0.170	
			Total :		373.11		150.995	
9	Amuaa	Chhaper Patwari halka 51.	Protected Forest	1	22.15	1	8.964	<b>North</b> —Boundary of State Uttar Pradesh.
				2	39.00	2	15.783	<b>East</b> —Boundary of village Kulkadia.
				3	20.80	3	8.418	<b>South</b> —Boundary of village Kulkadia.
				4	0.60	4	0.243	<b>West</b> —Boundary of village Kulkadia.
				5	5.98	5	2.420	
				6	18.75	6	7.588	
				7	11.28	7	4.565	
				8	1.62	8	0.656	
				9	0.04	9	0.016	
				10	0.30	10	0.121	
				11	0.80	11	0.324	
				12	0.09	12	0.036	
				13	6.85	13	2.772	
				14	0.84	14	0.340	
				15	0.14	15	0.057	
				16	1.20	16	0.486	
				17	0.05	17	0.020	
				18	6.19	18	2.505	
				19	0.21	19	0.085	
				20	1.53	20	0.619	
				21	0.52	21	0.210	
				22	3.53	22	1.429	
				23	1.20	23	0.486	
				24	0.10	24	0.041	
				25	5.78	25	2.339	
				26	4.10	26	1.659	
				27	0.38	27	0.154	
				28	1.85	28	0.749	
				29	3.30	29	1.335	
				30	39.65	30	16.046	
				31	4.16	31	1.684	
				32	23.07	32	9.336	
				33	6.12	33	2.477	
				34	0.43	34	0.174	
				35	3.53	35	1.429	
				36	2.54	36	1.028	
				37	1.49	37	0.603	
				38	0.30	38	0.121	
				39	28.16	39	11.396	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				40	0.16	40	0.065	
				41	2.70	41	1.093	
				42	5.27	42	2.133	
				43	2.64	43	1.068	
				44	1.15	44	0.465	
				45	2.07	45	0.838	
				46	0.17	46	0.069	
				47	0.62	47	0.251	
				48	2.72	48	1.101	
				49	0.23	49	0.093	
				50	2.82	50	1.141	
				51	0.59	51	0.239	
				52	0.05	52	0.020	
				53	0.11	53	0.045	
				54	1.04	54	0.421	
				55	0.96	55	0.389	
				56	0.12	56	0.049	
				57	0.94	57	0.380	
				58	0.45	58	0.182	
				59	0.63	59	0.255	
				60	0.31	60	0.125	
				61	0.58	61	0.235	
				62	0.16	62	0.065	
				63	0.60	63	0.243	
				64	0.58	64	0.235	
				65	0.42	65	0.170	
				66	0.18	66	0.073	
				67	0.19	67	0.077	
				68	0.70	68	0.283	
				69	0.16	69	0.065	
				70	1.50	70	0.607	
				71	0.69	71	0.279	
				72	0.19	72	0.077	
				73	0.22	73	0.089	
				74	0.06	74	0.024	
				75	0.89	75	0.360	
				76	0.45	76	0.182	
				77	0.30	77	0.121	
				78	0.12	78	0.049	
				79	1.13	79	0.457	
				80	0.09	80	0.036	
				81	3.57	81	1.445	
				82	0.83	82	0.336	
				83	1.45	83	0.587	
				84	0.43	84	0.174	
				85	1.57	85	0.635	
				86	0.94	86	0.380	
				87	0.87	87	0.352	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				88	2.07	88	0.838	
				89	0.10	89	0.041	
				90	0.13	90	0.053	
				91	1.06	91	0.429	
				92	0.31	92	0.125	
				93	0.23	93	0.093	
				94	0.98	94	0.397	
				95	0.33	95	0.134	
				96	4.27	96	1.728	
				97	0.30	97	0.121	
				98	1.81	98	0.732	
				99	0.68	99	0.275	
				100	0.37	100	0.150	
				101	0.28	101	0.113	
				102	0.05	102	0.020	
				103	0.74	103	0.299	
				104	1.15	104	0.465	
				105	0.19	105	0.077	
				106	1.76	106	0.712	
				107	0.09	107	0.036	
				108	0.13	108	0.053	
				109	1.57	109	0.635	
				110	0.59	110	0.239	
				111	0.18	111	0.073	
				112	0.02	112	0.008	
				113	2.88	113	1.166	
			Total :		335.52		135.783	
10	Amuaa	Kulkadiya	Protected	1	868.00	1	351.274	<b>North</b> —Boundary of
		Patwari	Forest	2	935.95	2	378.774	State Uttar Pradesh.
		halka 51.		3	168.15	3	68.049	<b>East</b> —Boundary of State
				4	60.80	4	24.605	Uttar Pradesh and
				5	0.60	5	0.243	Boundary of village
				6	4.35	6	1.760	Ormani and Chhapar.
				7	58.30	7	23.593	<b>South</b> —Forest Block
				8	183.00	8	74.059	pillar No. 11/1 to
				9	0.09	9	0.036	28/18 and boundary of
				10	2.85	10	1.153	village Panti, Pratappur.
				11	110.00	11	44.516	<b>West</b> —Boundary of village
				12	6.60	12	2.671	Batahara, Jhulna,
				13	0.23	13	0.093	Rasoiya and Forest
				14	20.25	14	8.195	Block Pillar No. 64/10
				15	16.20	15	6.556	to 70/1.
				16	25.60	16	10.360	
				17	1.12	17	0.453	
				18	0.27	18	0.109	
				19	0.05	19	0.020	
				20	1.39	20	0.562	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				21	42.20	21	17.078	
				22 part	45.55	22 part	18.433	
				23	4.39	23	1.776	
				24	2.90	24	1.173	
				25	0.34	25	0.137	
				26	9.52	26	3.852	
				27	0.12	27	0.048	
				28	0.20	28	0.080	
				29	1.92	29	0.777	
				30	0.11	30	0.044	
				31	3.35	31	1.355	
				32	1.15	32	0.465	
				33	0.50	33	0.202	
				34	0.03	34	0.012	
				35	6.26	35	2.533	
				36	0.94	36	0.380	
				37	0.15	37	0.060	
				38	1.41	38	0.570	
				39	0.45	39	0.182	
				40	1.11	40	0.449	
				41	0.12	41	0.048	
				42	2.12	42	0.857	
				43	0.11	43	0.044	
				44	0.09	44	0.036	
				45	0.71	45	0.287	
				46	0.07	46	0.028	
				47	0.49	47	0.198	
				48	0.06	48	0.024	
				49	0.09	49	0.036	
				50	1.25	50	0.506	
				51	1.32	51	0.534	
				52	0.03	52	0.012	
				53	3.97	53	1.607	
				54	0.67	54	0.271	
				55	0.04	55	0.016	
				56	0.86	56	0.348	
				57	1.26	57	0.510	
				58	0.42	58	0.170	
				59	5.50	59	2.226	
				60	1.05	60	0.425	
				61	12.78	61	5.172	
				62	1.03	62	0.417	
				63	1.56	63	0.631	
				64	1.22	64	0.493	
				65	0.02	65	0.008	
				66	1.35	66	0.546	
				67	1.15	67	0.465	
				68	0.21	68	0.085	
				69	0.04	69	0.016	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				70	0.55	70	0.222	
				71	0.02	71	0.008	
				72	4.14	72	1.675	
				73	2.27	73	0.918	
				74	1.18	74	0.477	
				75	1.96	75	0.793	
				76	5.34	76	2.161	
				77	0.62	77	0.250	
				78	0.44	78	0.178	
				79	4.37	79	1.768	
				80	0.17	80	0.068	
				81	63.70	81	25.779	
				82	2.42	82	0.979	
				83	1.10	83	0.445	
				84	3.77	84	1.525	
				85	0.13	85	0.052	
				86	0.95	86	0.384	
				87	0.02	87	0.008	
				88	0.02	88	0.008	
				89	0.75	89	0.303	
				90	0.50	90	0.202	
				91	1.78	91	0.720	
				92	0.08	92	0.032	
				93	2.79	93	1.129	
				94	0.85	94	0.344	
				95	13.00	95	5.261	
				96	2.07	96	0.837	
				97	24.44	97	9.890	
				98	201.70	98	81.627	
				99	3.55	99	1.436	
				100	1.36	100	0.550	
				101	9.85	101	3.986	
				102	117.85	102	47.693	
				103	30.50	103	12.343	
				104	10.00	104	4.047	
				105	6.50	105	2.630	
				106 part	13.45	106 part	5.443	
				107 part	0.15	107 part	0.060	
				119 part	5.79	119 part	2.343	
				135 part	3.75	135 part	1.517	
				136	25.70	136	10.400	
				137 part	17.58	137 part	7.114	
				138 part	0.25	138 part	0.101	
				157 part	0.10	157 part	0.040	
				159 part	1.06	159 part	0.429	
				161 part	4.00	161 part	1.619	
				174 part	0.12	174 part	0.048	
				179 part	0.15	179 part	0.060	
				182 part	26.28	182 part	10.635	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				183	1.40	183	0.566	
				184	3.16	184	1.279	
				185	0.59	185	0.238	
				186	0.40	186	0.161	
				187	1.30	187	0.526	
				188	0.74	188	0.299	
				189	1.40	189	0.566	
				190	0.75	190	0.303	
				191	1.03	191	0.417	
				192	0.30	192	0.121	
				193	2.85	193	1.153	
				194	1.27	194	0.514	
				195	8.62	195	3.488	
				196	40.00	196	16.187	
				197	0.98	197	0.396	
				198	0.52	198	0.210	
				199	0.83	199	0.336	
				200	1.10	200	0.445	
				201	0.30	201	0.121	
				202	1.48	202	0.599	
				203	0.10	203	0.040	
				204	1.22	204	0.493	
				205	0.40	205	0.161	
				206	56.30	206	22.784	
				207	2.70	207	1.092	
				208	2.25	208	0.910	
				209	13.90	209	5.625	
				210 part	4.40	210 part	1.780	
				211	0.79	211	0.319	
				212	3.12	212	1.262	
				213 part	0.79	213 part	0.319	
				216 part	6.23	216 part	2.521	
				217 part	3.16	217 part	1.278	
				218	0.16	218	0.064	
				219	1.47	219	0.595	
				220 part	4.14	220 part	1.675	
				222 part	0.60	222 part	0.243	
				241 part	0.20	241 part	0.081	
				242	187.70	242	75.961	

**Total :** 3603.76 1458.422

11.	Amuaa	Batehra	Protected	1	2.70	1	1.093	A—
		Patwari	Forest	2	47.50	2	19.223	North—Boundary of Village
		halka 51.		3	0.30	3	0.121	Kulkadiya.
				4	37.50	4	15.176	East—Boundary of Village
				5 Part	0.60	5 Part	0.243	Kulkadiya.
				6	0.08	6	0.032	South—Forest Block Pillar
				7 Part	41.80	7 Part	16.916	No. 70/1 to 78/9 &
				8 Part	2.86	8 Part	1.157	boundary of Village
				11 Part	19.50	11 Part	7.892	Pratappur, Kulkadiya.
				17 Part	1.52	17 Part	0.615	West—Boundary of Village
				19 Part	6.55	19 Part	2.651	Kulkadiya.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				20 Part	2.51	20 Part	1.015	B
				21 Part	32.32	21 Part	13.080	North—Forest Block Pillar No. 59/5 to 64/10.
				28 Part	0.50	28 Part	0.202	East—Boundary of Village Kulkadiya.
				36 Part	3.35	36 Part	1.356	South—Boundary of Village Pratappur & Kadrohie.
				49 Part	2.71	49 Part	1.097	West—Forest Block Pillar No. 55/1 to 59/5.
				50 Part	6.77	50 Part	2.739	
				51	0.93	51 Part	0.376	
				52	0.25	52	0.101	
				53	5.30	53	2.145	
			<b>Total :</b>		215.94		87.389	
12.	Amuaa	Jhulanha Patwari halka 49.	Protected Forest	1	0.40	1	0.162	A—
				2	0.30	2	0.121	North—Boundary of Village Rasoia. Kulkadiya.
				3	13.60	3	5.504	East—Boundary of Village Kulkadiya and Forest Block Pillar No. 79/1 to 90/12.
				4	13.70	4	5.544	South—Forest Block Pillar No. 90/12 to 95/17 and boundary of Village Mauhariya.
				5	0.16	5	0.065	West—Forest Block Pillar No. 108 and Boundary of Village Andhra Khoh and Bijahri.
				6 Part	148.35	6 Part	60.036	B—
				7	54.40	7	22.015	North—Forest Block Pillar No. 50/5 to 52/1.
				8	0.54	8	0.219	East—Boundary of Village Kadrohi.
				9	78.00	9	31.566	South—Forest Block Pillar No. 46/1 to 47/2.
				10	12.20	10	4.937	West—Forest Block Pillar No. 47/2 to 50/5.
				11	0.16	11	0.065	
				12	1.07	12	0.433	
				13	0.40	13	0.162	
				14	23.10	14	9.348	
				15	0.10	15	0.040	
				16	5.65	16	2.287	
				17 Part	0.20	17 Part	0.081	
				20 Part	0.14	20 अ	0.057	
				70 Part	19.55	70 Part	7.912	
				75 Part	0.95	75 Part	0.384	
				79 Part	0.35	79 Part	0.142	
				83 Part	0.18	83 Part	0.073	
				105 Part	5.60	105 Part	2.266	
				108 Part	5.42	108 Part	2.193	
				109 Part	2.42	109 Part	0.979	
				110	31.60	110	12.789	
				111	7.10	111	2.873	
				112	0.80	112	0.324	
				113	0.66	113	0.267	
				114	0.40	114	0.162	
				115	4.52	115	1.829	
				116	5.52	116	2.235	
				117 Part	10.00	117 Part	4.047	
				121 Part	4.46	121 Part	1.805	
				151 Part	27.07	151 Part	10.955	
			<b>Total . .</b>		479.07		193.877	
13.	Amuaa	Ormani Patwari halka 51.	Protected Forest	1	0.35	1	0.142	North—Boundary of State Uttar Pradesh & Boundary of Village Kulkadiya.
				2	50.45	2	20.417	
				4	3.32	4	1.344	
				5	1.57	5	0.635	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				6	27.42	6	11.096	East—Boundary of State
				7	1.95	7	0.789	Uattar Pradesh.
				8	2.76	8	1.117	South—Forest Block Pillar
				9	4.16	9	1.684	No. 1/1 to 10/10.
				10	1.54	10	0.623	West—Boundary of Village
				11	71.84	11	29.073	Kulkadiya.
				12	45.38	12	18.365	<b>A-(Excluding internal</b>
				13	0.37	13	0.150	<b>Patch Khasra Number 52/2</b>
				14	1.95	14	0.789	<b>and 61/2 Area 0.890 Ha.).</b>
				15	9.58	15	3.877	North—Artificial line from
				16	0.75	16	0.304	Pillar No. A/4 to A/3
				17	7.25	17	2.934	East—Artificial line from
				18	30.40	18	12.303	Pillar No. A/3 to A/2
				19	0.40	19	0.162	South—Artificial line from
				20	0.03	20	0.012	Pillar No. A/2 to A/1
				21	5.60	21	2.266	West—Artificial line from
				22	6.36	22	2.574	Pillar No. A/1 to
				23	2.25	23	0.911	Pillar No. 8/8 of
				24	0.90	24	0.364	Forest block Pillar
				25	3.69	25	1.493	No. A/4 & A/4 to
				26	57.59	26	23.306	Pillar No. 9/9.
				27	9.40	27	3.804	<b>Patch Khasra Number 77</b>
				28	0.37	28	0.150	<b>Area 1.477 Ha.).</b>
				29	1.70	29	0.688	North—Artificial line from
				30	0.06	30	0.024	Pillar No. B/8 to B/6
				31	1.15	31	0.465	East—Artificial line from
				32	0.27	32	0.109	Pillar No. B/6 to B/4
				33	1.76	33	0.712	South—Artificial line from
				34	0.08	34	0.032	Pillar No. B/4 to B/2
				35	0.29	35	0.117	West—Artificial line from
				36	1.78	36	0.720	Pillar No. B/2 to B/1
				37	0.15	37	0.061	and B/1 to Pillar No.
				38	1.26	38	0.510	B/8 of forest block.
				39	0.40	39	0.162	<b>C-(Excluding internal Patch</b>
				40	0.55	40	0.223	<b>Khasra Number 3 Area</b>
				41	3.36	41	1.360	<b>3.169 Ha.).</b>
				42	0.06	42	0.024	North—Artificial line from
				43	2.45	43	0.992	Pillar No. C/4 to C/3
				44	1.70	44	0.688	East—Artificial line from
				45	0.16	45	0.065	Pillar No. C/3 to C/2
				46	4.22	46	1.709	South—Artificial line from
				47	0.02	47	0.008	Pillar No. C/2 to C/1
				48	0.13	48	0.053	West—Artificial line from
				51 Part	0.15	51 Part	0.061	Pillar No. C/1 to C/4
				52 Part	10.00	52 Part	4.047	
				61 Part	2.60	61 Part	1.052	
				70	1.97	70	0.798	
				71	1.64	71	0.664	
				72	0.50	72	0.202	
				73	1.10	73	0.446	
				74	0.16	74	0.065	
				75	0.13	75	0.053	
				76	0.10	76	0.040	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				78	0.16	78	0.065	
				79	12.24	79	4.954	
				82 Part	12.50	82 Part	5.059	
			Total . .		412.43		166.908	
14.	Amuaa	Panti Patwari halka 51.	Protected Forest	14 Part 15 Part 16 Part	0.20 0.25 1.07	14 Part 15 Part 16 Part	0.081 0.101 0.433	<b>North</b> —Boundary of Village Kulkadiya and Nala. <b>East</b> —Boundary of Village Ormani. <b>South</b> —Forest Block Pillar No. 11/10 to 11/1. <b>West</b> —Boundary of Village Kulkadiya and Nala.
			Total . .		1.52		0.615	
15.	Amuaa	Pratappur Patwari halka 51.	Protected Forest	1 2 Part 4 Part 5 Part 111 Part 163 Part	36.30 0.13 2.05 3.10 0.30 81.19	1 2 Part 4 Part 5 Part 111 Part 163 Part	14.690 0.053 0.830 1.254 0.121 32.857	<b>North</b> —Boundary of Village Kulkadiya. <b>East</b> —Forest Block Pillar No. 28/18 to 34/6. <b>South</b> —Forest Block Pillar No. 34/6 to 40/12. <b>West</b> —Forest Block Pillar No. 40/12 and Boundary of Village Kadrohi.
			Total . .		123.07		49.805	
16.	Amuaa	Kadrohi Patwari halka 51.	Protected Forest	11 Part 12 13 14 15 16 Part 17 Part 52 Part	18.15 0.26 8.37 9.92 0.29 44.60 0.50 0.30	11 Part 12 13 14 15 16 Part 17 Part 52 Part	7.345 0.105 3.387 4.015 0.117 18.049 0.202 0.122	<b>North</b> —Forest Block Pillar Number 52/1 to 54/3 <b>East</b> —Boundary of Village Batahara. <b>South</b> —Boundary of Village Kulkariya and Forest Block Pillar No. 40/12 to 43/3. <b>West</b> —Forest Block Pillar No. 43/3 to 45/5 & Boundary of Village Jhulana.
			Total . .		82.39		33.342	
17.	Amuaa	Baraun Patwari halka 50.	Protected Forest	14 Part 16 Part	1.12 0.08	14 Part 16 Part	0.453 0.032	<b>North</b> —Boundary of Village Mauhariya. <b>East</b> —Boundary of Khasra No. 14, 16 & Forest Block Pillar No. 96/1 to 97/2. <b>South</b> —Boundary of Village Mauhariya. <b>West</b> —Boundary of Village Mauhariya.
			Total . .		1.20		0.485	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.	Amuaa	Mauharia Patwari halka 50.	Protected Forest	1 2 3 4 5 Part 6 Part 7 Part 39 Part 40 Part 41 Part 76 Part	0.07 0.37 15.93 0.56 0.10 0.27 5.96 4.09 42.15 1.30 0.80	1 2 3 4 5 Part 6 Part 7 Part 39 Part 40 Part 41 Part 76 Part	0.028 0.150 6.446 0.227 0.041 0.109 2.412 1.655 17.058 0.526 0.324	<b>North</b> —Boundary of Village Jhulna and Forest Block Pillar No. 107/10 to 108/11. <b>East</b> —Forest Block Pillar No. 95/17 to 98/1 and Boundary of Village Baron. <b>South</b> —Forest Block Pillar No. 98/1 to 101/4. <b>West</b> —Forest Block Pillar No. 101/4 to 107/10 & Boundary of Village Bijhari.
Total . .				71.60		28.976		
19.	Amuaa	Bijahari Patwari halka 49.	Protected Forest	1 2 3 Part 16 Part 17 Part 54 Part 55 Part	21.00 0.70 1.25 2.50 1.67 1.60 2.60	1 2 3 Part 16 Part 17 Part 54 Part 55 Part	8.499 0.283 0.506 1.012 0.676 0.647 1.052	<b>North</b> —Boundary of Village Andhra Khoh. <b>East</b> —Nala and Boundary of Village Jhulna. <b>South</b> —Forest Block Pillar No.108/1 to 111/4. <b>West</b> —Boundary of Village Amuaa.
Total . .				31.32		12.675		
20.	Amuaa	Kusiyara Patwari halka 49.	Protected Forest	1 Part 2 Part	4.14 21.00	1 Part 2 Part	1.675 8.499	<b>North</b> —Boundary of Village Amuaa, Bijahri and Forest Block Pillar No. 137/1. <b>East</b> —Forest Block Pillar No. 126/4 to 128/2. <b>South</b> —Forest Block Pillar No.128/2 to 130/4. <b>West</b> —Boundary of Village Bhatha.
Total . .				25.14		10.174		
21.	Amuaa	Bhataha Patwari halka 48.	Protected Forest	9 Part	18.80	9 Part	7.608	<b>North</b> —Forest Block Pillar No. 135/5 to 136/6. <b>East</b> —Boundary of Village Kusiyra. <b>South</b> —Forest Block Pillar No. 130/4 to 132/2. <b>West</b> —Forest Block Pillar No. 132/2 to 135/5.
Total . .				18.80		7.608		
Grand Total . .				12794.96		5178.045		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. P. SHARMA, Addl. Secy.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त, 2010

#### आदेश

क्र. 708-गोपनीय-2010-दो-3-81-2010.—कुमारी अपर्णा ठाकुर, तत्कालीन प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शाजापुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश शाजापुर वर्तमान में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, खरगौन जिला मण्डलेश्वर का विवाह श्री राजेश शर्मा के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी अपर्णा ठाकुर के स्थान पर "श्रीमती अपर्णा राजेश शर्मा" परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

क्र. 710-गोपनीय-2010-दो-3-78-2010.—कुमारी सुनयना डामोर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मण्डलेश्वर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डलेश्वर का विवाह श्री प्रतीक श्रीवास्तव के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी सुनयना डामोर के स्थान पर "श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव" पति श्री प्रतीक श्रीवास्तव परिवर्तित करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

क्र. 719-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010(भाग-एक-बी)—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में छः दिवसीय "Application of Information and Communication Technology to District Judiciary", जो दिनांक 30-08-2010 से 04-09-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 30-08-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निर्देशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.

2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 30-08-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे.
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो ट्रेक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें.
7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.

8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
9. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने साथ Laptop Computers with Peripherals एवं Software CDs प्रशिक्षण सत्र में साथ लावें. साथ ही ई-कमेटी द्वारा प्रदाय की गई अध्ययन सामग्री व उच्च न्यायालय द्वारा प्रदाय किया गया "लेपटाप संचालन मार्गदर्शिका" भी साथ लेकर आवें.
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2010

क्र. बी-3283-पेंशन-चार-9-4-39 भाग-तीन-सी.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु आगामी वर्ष 2011 में पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तंभ क्रमांक (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:—

क्र.	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	वर्ष 2011 सेवानिवृत्ति का दिनांक वित्त विभाग भोपाल के ज्ञापन क्र. 439/3497/75/आर.एक.-चार दि. 16-4-76 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रथम श्रेणी अधिकारी				
1	श्री ए. के. मिश्रा	लेखा अधिकारी, उ.न्या. म. प्र. जबलपुर	14-04-1951	30-4-11 अप.
1	श्री ए.एम. येवलेकर	रजिस्ट्रार कम-मुख्य न्या. महो. के मुख्य निजि सचिव उ. न्या. म. प्र. जबलपुर	26-11-1951	30-11-11 अप.
द्वितीय श्रेणी अधिकारी				
1	श्री ए. के. पवार	अनु. अधि. उ.न्या. म. प्र. जबलपुर	28-1-1951	31-01-11 अप.
2	श्री के.के. अग्रवाल	निजि सचिव उ. न्या. म. प्र. जबलपुर	01-02-1951	31-01-11 अप.
3	श्री के. जे. मेहें	अनु. अधि. उ. न्या. म. प्र. जबलपुर	12-11-1951	30-11-11 अप.

क्र. 729-गोपनीय-2010-दो-2-1/2010 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारियों जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी

गई है, को कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दो दिवसीय कार्यशाला "Key issues and Challenges regarding offences of dishonour of cheque u/s 138 of Negotiable Instruments Act, 1881", जो दिनांक 28 एवं 29 अगस्त 2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 28 अगस्त 2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 28-08-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित हों.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित हों. महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित हों.
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Negotiable Instruments Act एवं Cr. P.C. की प्रति साथ लावें.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान चाय, बिस्कुट तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त, 2010

क्र. 750-गोपनीय-2010-दो-3-60-2010.—श्रीमती मंजू सिंह, पन्द्रहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर का विवाह श्री आलोक प्रताप सिंह के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी मंजू बकना के स्थान पर "श्रीमती मंजू सिंह" पति श्री आलोक प्रताप सिंह परिवर्तित करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2010

क्र. 772-गोपनीय-2010-दो-3-1-2010(भाग-दो).—प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में प्रथम चरण के "Induction Training Programme", जो दिनांक 06-09-2010 से 01-10-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 06-09-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है.

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा. समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के भेजा जावे, जिससे कि निर्देशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें.
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 06-09-2010 को प्रातः काल ठीक 9:30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे.
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे. तथा महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे.
4. टी.ए. एवं डी.ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं.
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा.
6. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन पर टैम्पो टैक्स की व्यवस्था की जावेगी, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध

रहेगी. अतः न्यायिक अधिकारी जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679 पर समयावधि रहते सूचित करें.

7. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिए न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपराह्न से शुरु होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी. यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी. इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी.ए. एवं डी.ए. क्लेम करने के पात्र होंगे.
8. न्यायिक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण उपरांत अपनी वापसी की यात्रा का आरक्षण, उन्हें स्वयं की कराना होगा. इस हेतु प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
9. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दोपहर एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा.

जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त, 2010

क्र. 778-गोपनीय-2010-दो-3-82-2010.—कुमारी अर्चना रघुवंशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल का विवाह श्री भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी के साथ होने के फलस्वरूप, उनकी प्रार्थनानुसार उनका नाम कुमारी अर्चना रघुवंशी के स्थान पर "श्रीमती अर्चना रघुवंशी" पति श्री भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी परिवर्तित करने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त, 2010

क्र. 802-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010(भाग-बी).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 729-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-बी) दिनांक 05 अगस्त, 2010 के तारतम्य में, इस आदेश के पृष्ठांकन में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दो दिवसीय कार्यशाला "Key issues and Challenges regarding offences of dishonour



of cheque u/s 138 of Negotiable Instruments Act 1881”, जो दिनांक 28-08-2010 एवं 29-08-2010 तक की अवधि के लिये आयोजित है, में शामिल करते हुये, उन्हें कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 28-08-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़ कर कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी विलंब के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निर्देशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सके।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कॉन्फ्रेंस हॉल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 28-08-2010 को प्रातः काल ठीक 10:00 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पैंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे।
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यशाला में अपने साथ Bare Acts of Negotiable Instruments Act एवं Cr. P.C. की प्रति साथ लावें।
5. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
6. न्यायिक अधिकारियों को कार्यशाला के दौरान चाय, बिस्कुट तथा दोपहर का भोजन प्रदान किया जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
टी.के.कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2010

क्र. ई-3300-दो-2-129-2006.—श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 जुलाई से दिनांक 07 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए अट्ठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात्

में दिनांक 08 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा भटनागर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा भटनागर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. ई-3302-दो-3-420-80-भाग नौ.—श्री एस.एन. शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 195 दिवस (एक सौ पच्चीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-21-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

#### गणना-पत्रक

- |  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| 1. श्री एस.एन. शर्मा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच का नियुक्ति दिनांक                                 | : | 01-05-1974                            |
| 2. सेवानिवृत्ति दिनांक   | : | 31-07-2010                            |
| 3. नियुक्ति दिनांक   | : | 12 वर्ष 10 माह                        |
|  |   | 01-05-1974 से दिनांक                  |
|  |   | 09-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.           |
| 4. दिनांक 10-3-1987 से   | : | 23 वर्ष 4 माह                         |
|  |   | सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. |
| 5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से).                              | : | 12 × 15 = 180 दिन                     |
| 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से) | : | 24 = 12 × 15 = 180 दिन                |

7. कुल अर्जित अवकाश : 360 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 165 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 195 दिन  
अवकाश समर्पण की  
पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को शेष अर्जित अवकाश 235 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897/21-ब(एक)07, दिनांक 21-06-2007 के अनुसार दिनांक 01-11-1999 के पश्चात के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. ई-3304-दो-3-420-80-भाग नौ.—श्री एच.के.दुबे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 146 दिवस (एक सौ छयालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-21-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

#### गणना-पत्रक

1. श्री एच.के.दुबे, सेवानिवृत्त : 30-09-1979  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
होशंगाबाद का नियुक्ति दिनांक
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-07-2010
3. नियुक्ति दिनांक : 7 वर्ष 5 माह  
07-09-1979 से दिनांक  
09-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 23 वर्ष 4 माह  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक  
कुल सेवा अवधि.

5. कालम (3) में अंकित : 7 × 15 = 105 दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(1 वर्ष में 15 दिन  
की दर से).

6. कालम (4) में अंकित : 22 = 11 × 15 = 165  
अवधि हेतु समर्पण दिन  
अवकाश की पात्रता  
(1 वर्ष में 7 दिन की दर से  
तथा 2 वर्ष में 15 दिन की  
दर से)

टीप:—कालम (3) एवं (4) के 1 × 7 = 7 दिन  
खण्ड माह की अवधि यदि  
एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित  
करते हुए

7. कुल अर्जित अवकाश : 277 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 131 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 146 दिन  
अवकाश समर्पण की  
पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2010 को शेष अर्जित अवकाश 211 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) के अनुसार दिनांक 01-11-1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. ई-3306-दो-3-420-80-भाग नौ.—श्री एन.के.पोरवाल, सेवानिवृत्त (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2010 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 203 दिवस (दो सौ तीन दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए)19-03-21-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-21-ब(एक)07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

### गणना-पत्रक

1. श्री एन.के.पोरवाल, सेवानिवृत्त : 01-01-1979  
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय,  
उज्जैन का नियुक्ति दिनांक
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-01-2010
3. नियुक्ति दिनांक : 8 वर्ष 2 माह  
01-01-1979 से दिनांक  
09-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-3-1987 से : 22 वर्ष 10 माह  
सेवानिवृत्ति दिनांक तक  
कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : 8 × 15 = 120 दिन  
अवधि हेतु समर्पण  
अवकाश की पात्रता  
(1 वर्ष में 15 दिन  
की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 22 = 11 × 15 = 165  
अवधि हेतु समर्पण दिन  
अवकाश की पात्रता  
(1 वर्ष में 7 दिन की दर से  
तथा 2 वर्ष में 15 दिन की  
दर से)
- नोट:—खंड माह की अवधि यदि 1 × 7 = 7 दिन  
एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित  
करते हुए
7. कुल अर्जित अवकाश : 292 दिन  
समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 89 दिन  
लिया गया अवकाश  
समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 203 दिन  
अवकाश समर्पण की  
पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2010 को शेष अर्जित अवकाश 224 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897/21-ब(एक)07, दिनांक 21-06-2007 के अनुसार दिनांक 01-11-1999 के पश्चात के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. ई-3371-दो-2-19-2003.—श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 3 से दिनांक 10 सितम्बर 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 8 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 सितम्बर 2010 के एवं पश्चात में दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. ई-3373-दो-2-49-2003.—श्री आर.एच. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 19 से दिनांक 30 जून 2010 तक बारह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 जुलाई 2010 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एच. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एच. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. ई-3375-दो-2-19-2003.—श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 12 से दिनांक 17 जुलाई 2010 तक छह दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 18 जुलाई 2010 से दिनांक 20 जुलाई 2010 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-4527-दो-3-66-2002.—श्री एस. के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 26 से दिनांक 29 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-4529-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 5 से दिनांक 7 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-4531-दो-2-37-2007.—श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 12 से दिनांक 24 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तेरह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-4525-दो-2-46-2010.—श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 9 से दिनांक 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अगस्त 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती दुर्गा डाबर, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती दुर्गा डाबर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. सी-4533-दो-3-46-2000.—श्री ओ. पी. दुबे, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 12 से दिनांक 31 जुलाई 2010 तक बीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 27 से दिनांक 31 जुलाई 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. सी-4535-दो-2-3-2008.—श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 23 से दिनांक 24 जुलाई 2010

तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-4537-दो-2-23-2009.—डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 2 से 4 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 अगस्त 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डा. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डा. अनिल पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-3548-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. बी-3550-दो-3-61-2000.—श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 13 से 17 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-3552-दो-2-16-2002.—श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 12 से 17 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जुलाई 2010 के एवं पश्चात् में दिनांक 18 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. बी-3554-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 14 से 17 जुलाई 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 जुलाई 2010 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. बी-3565-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 15 से 20 अप्रैल 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्र. ई-3189-तीन-10-42-75-(इंदौर-हातोद).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय एतद्वारा निर्देशित करता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, हातोद अपने घोषित कार्यस्थल हातोद के अतिरिक्त इन्दौर में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में कार्य करेंगे.

जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2010

क्र. 742-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 26-10-95 अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ (एक) दिनांक 7-5-1999 तथा क्रमांक फा. 1-2-90-21-ब (एक), दिनांक 4-5-2007 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है.

No. E-3189-III-10-42-75-(Indore-Hatod).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) the High Court of Madhya Pradesh hereby directs that the Civil Judge Class-II Hatod in addition of his place of sitting declared at Hatod shall also sit at Indore on such dates as may be approved by the District and Sessions Judge, Indore from time to time.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त, 2010

क्र. बी-3480-दो-3-46-2002.—श्री अरूण कुमार मिश्रा, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 13 अगस्त 2010 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार मिश्रा, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पद स्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

## सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री राधा किशन गुप्ता, अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) (निरीक्षण एवं सतर्कता), वृत्त ग्वालियर.	ग्वालियर	कटनी	कटनी	पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती चन्द्रकांता गर्ग के स्थान पर.	कटनी

जबलपुर, दिनांक 20 अगस्त, 2010

क्र. 787-गोपनीय-2010-दो-2-1-2010 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :-

## सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री डी. के. पालीवाल अपर जिला न्यायाधीश (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) (निरीक्षण एवं सतर्कता) वृत्त इन्दौर.	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5, विद्युत् अधिनियम, 2003 इन्दौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
टी. के. कौशल, रजिस्ट्रार जनरल.